मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

मुसलमान का कर्तव्य

"मोमिन के लिये अल्लाह के आख़िरी रसूल (सल्लल्लाहुअलैहिवसल्लम) रोशनी का मीनार हैं। अपनी ज़िन्दगी के लिये उनसे रोशनी प्राप्त करना, उनकी पैरवी करना और उनके चरित्र, व्यवहार व विशेषताओं को अपने लिये नमूना बनाना हर मुसलमान का कर्तव्य है। इसी में भलाई है, और यही मोमिन का तरीक़ा है। जब भी कोई इस तरीक़े से हटा या इसमें कोताही और लापरवाही बरती, वह सीधे रास्ते से दूर हो गया और उसका जीवन सत्मार्ग से हट गया।"

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नद्वी (रह0)

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

NOV 16

₹10/-

मुहम्मद (स०अ०) की दावत का प्रभाव

सामूहिक जीवन पर

मुझे सबसे पहले ये विचार आया कि दावत के उन प्रभावों की चर्चा करूं जो एक नाकारा क़ौम पर पड़े और उन्होंने उसे उस अन्तर्राष्ट्रीय दावत का योग्य बनाकर बीस साल से कम अर्से में पूरब के चारों ओर फैला दिया उस दावत के नुमायां और तुरन्त पड़ने वाले प्रभाव के परिणाम में अरब की क़ौम एक दूसरी क़ौम बन गयी। अरब बिखराव और फूट के शिकार थे और ऐसे बन्जर इलाक़े मे रहते थे जिसे ईरान व रूम की क़ौमें हिक़ारत की निगाहों से देखती थीं और वो दुनिया की क़ौमों में सबसे आख़िरी क़ौम थी जिससे किसी ख़ैर की उम्मीद की जा सकती थी, अरब जाहिलियत के ज़माने में ज़िन्दगी और सरदारी और पानी और हरी–भरी जगहों के लिये लड़ते रहते थे, हर क़बीला अपनी ताक़त पर नाज़ करता और अपने ख़ानदान पर गर्व करता रहता था और गर्व इस बात पर होता था कि उसने लूटमार की और अपने दुश्मन पर हावी हुआ और जुल्म व फ़साद फैलाया, ये चीज़ें उसके लिये गर्व की बात और जीवन का उद्देश्य बन गयी थीं इसलिये अम्र इब्ने कुलसूम गर्व से ये कहता है:

"हम बग़ावत करने वाले ज़ालिम लोग हैं और हम पर जुल्म नहीं किया जाता बल्कि हम ख़ुद जुल्म की शुरूआत करते हैं।"

जुहैर कहता है:

"और जो अपने हौज़ की रक्षा अपने असलहों से नहीं करता तो वो गिरा दिया जाता है और जो लोगों पर जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म किया जाता है।"

क़तामी जो इस्लामी शायर है इस्लामी क़बीलों में बाक़ी रह जाने वाले जाहिल तत्वों की इस प्रकार निशानदेही करता है:

"जिसको सभ्यता व संस्कृति पसंद हो उससे कहो कि हमें तुम क्यों देहाती समझते हो।"

"और जो सैन्य तैयारी करे वो जान ले कि हमारे पास भी सख़्त कमानें और बेहतरीन घोड़े हैं।"

"और वो जब किसी सीमा पर हमला करते हैं और उन्हें लूटमार में परेशानी होती है।"

"तो वो ज़बाब की जगह से हुलूल और ज़ब्बा पर हमला कर देते हैं।"

"और कभी हम क़बीला–ए–बक़र के अपने भाइयों पर हमला कर देते हैं जब हम अपने भाइयों के सिवा किसी को नहीं पाते।"

بسم الله الرحمن الرحيم

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक:११ नवम्बर २०१६ ई० वर्ष:८

संरक्षक: हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी (अध्यक्ष - दारे अरफ़ात)

निरीक्षक
मो० वाज़ेह रशीद हसनी नदवी
जनरल सेकेट्री- दारे अरफ़ात

सह सम्पादक
मो० नफ़ीस ख़ाँ नदवी

सम्पादकीय मण्डल
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी
अब्दुस्सुबहान नाखुदा नदवी
महमूद हसन हसनी नदवी

मुद्रक
मो० हसन नदवी

अनुवादक
मोहम्मद सैफ

E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalinadwi.org

इस अंक में:

इतिहास से सबक़ लीजिये................................२
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

सहाबियात रज़ि० की दीनी ख़िदमत................३
मौलाना मुहम्मद सानी हसनी रह०

आख़िरत से ग़फ़लत..६
मौलाना मुहम्मदुल हसनी रह०

उम्मत के इख़्तिलाफ़ और सीधा रास्ता..................७
हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

शराब — घातक ज़हर......................................९
मौलाना सैय्यद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी

मुस्लिम न्याय पालन के शानदार नमूने ११
मौलाना मुहम्मद इज्तिबा नदवी

तू अगर अपनी हक़ीक़त से ख़बरदार है............१३
मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह०

इस्लाम से भय कैसा?..................................१६
मौलाना शमसुल हक़ नदवी

नागरिकों के एकसमान क़ानून..........................१८
मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी

सम्पादक: बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली, यू०पी० 229001

मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला खाँ, सब्ज़ी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से छपवाकर आफिस अरफ़ात किरण, मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

प्रति अंक 10रु

वार्षिक 100रु०

सम्पादकीय

इतिहास से सबक़ लीजिये

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

संसार के उत्थान व पतन के इतिहास से जीवित क़ौमें हमेशा पाठ पढ़ती रही हैं। जो लोग आंख बन्द करके सफ़र करने के आदी होते है वो ठोकर पर ठोकर खाते हैं। उनकी सारी योग्यताएं अनुभवों की भेंट चढ़ जाती है। और जो लोग बीते हुए अनुभवों से लाभान्वित होते हैं उनकी मन्ज़िल दूर होकर भी क़रीब हो जाती है। मुसलमानों के पतन की कहानी यूरोप के उत्थान से आरम्भ होती है। सलीबी जंगो में बार–बार पराजित होने के बाद पूरे यूरोप ने अपनी रणनीति बदली जो उनके सुनहरे इतिहास का आरम्भ बिन्दु है। फ़्रांस के राजा लुईस नवम् को जब मुसलमानों ने क़ैद कर लिया तो उसने एक वसीयत नामा लिखा जिसमें उसने स्पष्ट रूप से ये बात लिखी कि हम ज़ाहिरी ताक़त से कभी मुसलमानों को पराजित नहीं कर सकते इसका हमने बहुत अनुभव कर लिया। अब हमको रणनीति बदलने की आवश्यकता है और कुछ समय के लिये लगन के साथ अमली मैदान में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस वसीयत नामे पर चौदहवीं सदी ईसवी से अमल शुरू हुआ और तीन सौ साल के अन्दर–अन्दर इस सफल प्रयास ने यूरोप को कहीं से कहीं पहुंचा दिया।

वर्तमान समय यद्यपि मुसलमानों के लिये ख़राब नज़र आ रहा है किन्तु ये समय इस्लामी जागरूकता का है और इसके प्रभाव दुनिया के अनेक हिस्सों में नज़र आ रहे हैं। विभिन्न देशों में राजनीतिक उलटफेर और सत्ता परिवर्तन विभिन्न रूपों में सामने आया है। मगर इनकी हैसियत बुनियादी नहीं है। अस्ल अन्दर का वो ठोस काम है जिसके परिणाम में ये जागरुकता प्रकट हो रही है। ज़ाहिरी एकता के बजाये अगर अन्दर की मेहनत लगातार की जाती रहेगी तो जल्द ही इंशाअल्लाह इससे बेहतर परिणाम सामने आयेंगे।

मुसलमान ये चाहते हैं कि गेंद उनके पाले में आ जाये मगर उसके लिये जिस मेहनत की ज़रूरत है उसकी ओर ध्यान कम दिया जा रहा है और ये एक बड़े ख़तरे की बात है। मुसलमान आज जहां पहुंचे हैं उसमें इसी मेहनत का हाथ है। जो मुसलमान चिन्तकों, उलमा और दाइयों ने की है। जिसमें उनकी अस्ल मेहनत दिल व दिमाग़ तक पहुंचने की है। जब तक दिलों में सही भाव और दिमागों में सही फ़िक्र पैदा नहीं होगी ज़ाहिरी सूरतों से कोई बड़ी उम्मीद नज़र नहीं आती बल्कि ख़तरा वही है जो सामने आता रहता है कि सब कुछ होने के बाद ज़मीन अन्दर से खिसक जाती है। इस अन्दर की ज़मीन को मज़बूत करने की ज़रूरत है। और जब तक वो ज़मीन अमली रूप से और मार्गदर्शन के आधार से मज़बूत न हो जाये उस वक़्त तक ज़ाहिरी बदलाव से कोई बड़ा फ़ायदा होना बहुत मुश्किल है।

हालात से सबक़ लेना और इतिहास से फ़ायदा उठाना जीवित क़ौमों का चलन रहा है। मुसलमानों को स्वयं अपने उत्थान व पतन के इतिहास से सबक़ लेने की आवश्यकता है। इसके लिये असबाब व मुहरिकात को जांच करके उसके प्रकाश में यात्रा को तेज़ करने की आवश्यकता है और ज़िन्दगी के हर मैदान में अपनी योग्यता सिद्ध करने की आवश्यकता है। अगर इस्लाम के प्रकाश में ये यात्रा जारी रहेगी और कुछ अर्से के लिये मुसलमानों में लगन के साथ इस काम में लग जाने का भाव पैदा हो जायेगा तो जल्द ही हालात बदलेंगे लेकिन इसके धैर्य व धीरज और हौसला चाहिये। "हाथों पर सरसों न उगायी जा सकी है न उगायी जा सकती है" कई बार लम्बे अर्से की मेहनत व उपायों के बाद परिणाम सामने आते हैं। मेहनत करने वाले चले जाते हैं और उनकी आने वाली नस्लें इसका फल खाती हैं।

सहाबियात रज़ि० की दीनी ख़िदमतें

मौलाना मुहम्मद सानी हसनी रह०

इस्लामी इतिहास इसका गवाह है कि पिछली सदियों में बेशुमार इस्लामी औरतों ने ज़िन्दगी के हर हिस्से में न भुलाने लायक़ काम अन्जाम दिये हैं। वो हिस्सा चाहे राजनीति का हो या व्यवहार व समाज का, ज्ञान का, ज़हद व रियाज़त का हो, या तक़वा व पाकी का, अक़्ल या ज़हानत का हो, देश की सेवा का हो या रियासत व बादशाहत का, हक़ अदा करने का हो या औलाद के प्रशिक्षण का हो, उन सारे हिस्सों में मुसलमान औरतों का फ़ज़्ल व कमाल और उनकी अपनाने योग्य मिसालें मिलेंगी।

इस्लामी औरतें उपरोक्त विशेषताओं व कमालों में अपने पेशतर व बरकतवाले और पाकीज़ा सिफ़ात ख़्वातीन अकाबिर, बिनात, तैय्यबात, अज़वाजे मुतहरात की मुकल्लिद थीं। जिन्होने ज़िन्दगी के हर हिस्से में अपने बाद आने वाली नस्लों के लिये बेहतरीन मिसालें छोंड़ी थीं और ज़िन्दगी के हर मामले में "उस्व–ए–हुस्ना" पेश किया था।

सहाबियात रज़ि० के अलग–अलग कारनामों और ख़िदमतों के सिलसिले में सबसे ऊपर हज़रत ख़दीजा रज़ि० उम्मुल मोमीनीन की ख़िदमतें हैं जिन्होनें शुरू से हुज़ूर सरवरे कायनात स०अ० का हर तरह से साथ दिया और इस्लाम के बढ़ावे में बड़ा काम किया और ज़िन्दगी के दूसरे हिस्सों में मिसाली किरदार अदा किया। अपनी पाक दामनी की बिना पर ताहिरा के लक़ब से मशहूर हुईं, औरतों में सबसे पहले ईमान लायीं और आप स०अ० का हर तरह से साथ दिया।

ग़ार–ए–हिरा में जब हुज़ूर स०अ० पर पहली वही नाज़िल हुई और आप घर वापस तशरीफ़ लाये तो अल्लाह के जलाल से लबरेज़ थे। आप स०अ० ने हज़रत ख़दीजा से फ़रमाया, मुझको कपड़ा उढ़ाओ और फिर पूरा मामला सुनाया और फिर फ़रमाया मुझको डर है। हज़रत ख़दीजा रज़ि० ने फ़रमाया, आप घबराइये नहीं, ख़ुदा आपका साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि आप सिलारहमी करते हैं, बेकसों और फ़कीरों के काम आते हैं, मेहमान नवाज़ी करते हैं और मुसीबत में पड़े लोगों के हक़ में हिमायत करते हैं। और फिर वो अपने चचाज़ाद भाई वरक़ा इब्न नोफ़ल (जो नसरानी मज़हब के थे) के पास ले गयीं, जिन्होने आप से वाक़्या सुनकर नबूवत की बशारत सुनायी।

हज़रत ख़दीजा आपकी बीवी थीं, दिन रात साथ थीं, साथ नवाफ़िल अदा करती थीं।

आप स०अ० को मक्का के मुश्रिकों से मुसीबतें उठानी पड़ती थीं और उन पर जो आप स०अ० को सदमा पहुंचता, हज़रत ख़दीजा रज़ि० के पास आकर दूर हो जाता, इसलिये हज़रत ख़दीजा आप स०अ० को पूरी तसल्ली देतीं।

मक्का के मुश्रिक जब आप स०अ० और आप स०अ० के ख़ानदान को "अबू तालिब की घाटी" में महसूर (क़ैद) किया तो हज़रत ख़दीजा रज़ि० भी आप स०अ० के साथ थीं।

जब तक हज़रत ख़दीजा रज़ि० ज़िन्दा रहीं, कुफ़्फ़ार मक्का को खुल कर हुज़ूर स०अ० को परेशान करने में रुकावट महसूस होती थी। लेकिन उनके इन्तिक़ाल के बाद कुरैश ने खुलकर सताना शुरू कर दिया। इसीलिये हज़रत ख़दीजा रज़ि० के इन्तिक़ाल के साल को ग़म का साल कहा जाता है।

हुज़ूर अक़दस स०अ० ने फ़रमाया कि दुनिया में अफ़ज़ल तरीन औरतें मरियम और ख़दीजा हैं।

इल्म व फ़न में से वाक़फ़ियत में बड़ा दरजा रखती हैं। सहाबियात में बहुत सी ऐसी औरतें गुज़री हैं, जो तफ़सीर व क़िरात, हदीस व फ़िक़, फ़राएज़–अदब और दूसरे इल्म व फ़न में महारत रखतीं थी। उनमें सबसे ऊपर उम्मुल मोमीनीन हज़रत आयशा रज़ि०, उम्मुल मोमीनीन हज़रत हफ़्सा रज़ि०, हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० हैं, जिनमें से कई को पूरा क़ुरआन शरीफ़ हिफ़्ज़ था। तफ़सीर में हज़रत आयशा को कमाल हासिल था। हदीस की रिवायत में हज़रत आयशा रज़ि०, हज़रत उम्मे सलमा रज़ि०, हज़रत

उम्मे अतिया रज़ि0, हज़रत असमा बिन्त अबू बकर, हज़रत उम्मे हानी रज़ि0 और हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस के नाम आते हैं जिन्होने बहुत सी हदीसें बयान की थीं।

फ़िक़ में हज़रत आयशा रज़ि0 के बेशुमार फ़तवे हैं, उनके अलावा हज़रत उम्मे सलमा रजि0, हज़रत सफ़िया रज़ि0, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ि0, हज़रत जुवेरिया रज़ि0, हज़रत मैमूना रज़ि0, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ि0, उम्मे अतिया रज़ि0, उम्मुल अरवा रज़ि0, उम्मे शरीक रज़ि0, आतिका बिन्त ज़ैद रज़ि0, सहला बिन्त सुहैल रज़ि0, अस्मा बिन्त अबी बकर, फ़ातिमा बिन्त क़ैस के नाम आते हैं जिनके फ़तवे मौजूद हैं।

अमली कामों में कारोबार का एक वर्ग है जिसमें सिलाई, खेती, कपड़ा बुनना है। इन कामों में बहुत सी सहाबियात रज़ि0 कमालात रखती थीं।

दीन की हिफ़ाज़त और इस्लाम की ख़िदमत व फैलाव अहम काम है। इसी काम में लगभग सारी सहाबियात दिलचस्पी लेतीं थीं, लेकिन कुछ सहाबियात इसमें श्रेष्ठतम् थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ि0 बिन्त ख़िताब की दावत पर उनके भाई हज़रत उमर रज़ि0 ने इस्लाम क़ुबूल किया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ि0 की कोशिश पर हज़रत अबू तलहा मुसलमान हुए। हज़रत उम्मे हकीम रज़ि0 की दावत बढ़ावा देने पर उनके शौहर अकरमा इब्ने अबूजहल जो यमन भाग गये थे, वापस आकर हुज़ूर स0अ0 के आस्ताना आलिया पर हाज़िर होकर ईमान लाये। उम्मे शरीक रज़ि0 दोसिया की दावत पर क़ुरैश की बहुत सी औरतों ने इस्लाम क़ुबूल किया।

जिहाद इस्लाम का अहम फ़रीज़ा है। सहाबा किराम रज़ि0 ने जिस ज़ौक़ व शौक़ से इसमें हिस्सा लिया, इसके क़िस्से इस्लामी इतिहास में सैंकड़ों पन्नों पर बिखरे हुए हैं। लेकिन इसको भुलाया नहीं जा सकता कि सहाबियात रज़ि0 ने अपनी ताक़त, हैसियत और अपनी बिसात भर अहम कामों को अन्जाम दिया। इनका जोश अख़लाक़, इरादा व इस्तिक़लाल अपने शौहरों, भाइयों, बुज़ुर्गों और लड़को से कम न था। उहद की जंग में जब काफ़िरों ने हमला कर दिया था, तो हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ि0 हुज़ूर अक़दस स0अ0 के पास पहुंची और दुश्मनों के तीरन्दाज़ों के सामने खड़ी हो गयीं और हुज़ूर अक़दस स0अ0 की हिफ़ाज़त करने लगीं। इब्ने क़िमिया हुज़ूर अक़दस की तरफ़ बढ़ा और हमला कर दिया, हज़रत अम्मारा रज़ि0 ने हमला रोका और सामने पड़ जाने की वजह से उनके कांधे पर ज़ख़्म आ गया। उन्होने इसकी परवाह नहीं की और इब्ने क़िमिया पर तलवार चला दी। मुसलमीया की जंग में बहादुरी से मुक़ाबला किया और बारह ज़ख़्म खाये, एक शहीद हुआ। ख़न्दक़ की जंग में हज़रत सफ़िया रज़ि0 ने एक यहूदी दुश्मन को ख़त्म किया। हुनैन की जंग में उम्मे सुलेम हथियार लेकर सामने आयीं। यरमूक की जंग में हज़रत असमा बिन्त अबी बकर रज़ि0, हज़रत उम्मे रियान रज़ि0, ख़ौला रज़ि0, उम्मे हकीम रज़ि0, उम्मुल मोमीनीन जुवेरिया रज़ि0 और हज़रत असमा बिन्त यज़ीद ने बहादुरी से दुश्मनों का मुक़ाबला किया। 28 हिजरी में क़बरस को फ़तेह करने में हज़रत उम्मे हराम रज़ि0 ने मुसलमान लश्कर में शिरकत की।

ये तो हथियार लेकर जंग में हिस्सा लेने का हाल था, ऐसी भी सहाबियात थीं जिन्होनें अलग–अलग जंगों में दूसरी ख़िदमतें अन्जाम दीं, जैसे पानी पिलाना, ज़ख़्मों की मरहम पट्टी करना, शहीदों और ज़ख़्मियों को उठा–उठा कर महफ़ूज़ जगहों पर लाना। तीर उठा–उठा कर लड़ने वालों को देना, खाने पीने का इन्तिज़ाम करना। लड़ने वालों को हिम्मत दिलाना, इन सारे कामों में निम्नलिखित औरतें आगे–आगे रहती थीं।

हज़रत आयशा रज़ि0, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ि0, हज़रत उम्मे सईत रज़ि0, हज़रत रबीअ बिन्त मुअव्वज़ रज़ि0, हज़रत उम्मे ज़्यादा रज़ि0, हज़रत उम्मे अतिया रज़ि0, हज़रत हिन्दा रज़ि0, हज़रत ख़ौला रज़ि0, हज़रत फ़ातिमा रज़ि0 वग़ैरह। इसमें कुछ तो मश्क़ भर–भर कर ज़ख़्मियों को पानी पिलाती थीं, कुछ ज़ख़्मियों की तीमारदारी करती थीं, कुछ घायलों को उठाकर मैदाने जंग से मदीना मुनव्वरा लातीं थीं, कुछ ने चरख़ा कात कर मुसलमानों की मदद की थी, कुछ तीर उठाकर लाती थीं, कुछ खाना पकाकर खिलाती थीं, और कुछ ने तो क़ब्र खोदने तक की ख़िदमत भी अन्जाम दी। और कुछ हिम्मत दिलाने के लिये शेर भी पढ़तीं थीं और लड़ने वालों को जोश दिलातीं थीं।

अल्लाह का इश्क़ और रसूल स0अ0 की मुहब्बत में सहाबियात सहाबा से कम न थीं, उहद की जंग का मशहूर वाक़्या है कि जब मुसलमानों की शिकस्त का शोर हुआ तो एक सहाबी औरत अपने घर से बे तहाशा निकलीं कि सरवरे कायनात स0अ0 का क्या हाल है।

एक साहब मिले उन्हाने ख़बर दी कि तुम्हारे शौहर शहीद हो गये, उन्हाने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और पूछा हमारे आक़ा का क्या हाल है? फिर उनको ख़बर दी गयी कि तुम्हारे भाई शहीद हो गये, आशिक़े रसूल बीबी बोलीं मुझे तो हुज़ूर अक़दस स0अ0 का हाल बताओ। इसके बाद उनको बताया गया कि आप स0अ0 हिफ़ाज़त से हैं, नेक दिल बीबी ने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर आगे बढ़ती गयीं। जब तक कि सरवरे कायनात स0अ0 की ज़ियारत नसीब न होगी चैन न आयेगा। सामने नबी के चाहने वालों के झुरमुट में आप स0अ0 नज़र आये, वो बीबी सरापा शौक़ बनकर आगे बढ़ीं, अपनी शौक़ भरी निगाहों से दुनिया के आफ़ताब के दीदार पुर अनवार से मुश्र्रफ़ हुईं। और इज़्ज़त व एहतराम का ज़िक्र मौलाना शिबली ने कुछ शेरों में किया है वो बजाए खुद बेहतर असरदार हैं।

संक्षेप में ये कि ज़िन्दगी के हर हिस्से में सहाबी बीबियों रज़ि0 ने अपने बाद आने वाली औरतों के लिये बेहतरीन नमूना छोड़ा है। जिसकी मुख़तलिफ़ तफ़सील किताबों में मिलती है। ख़ास तौर पर सदहा सहाबियात रज़ि0 के हालात पर लिखी गयी हैं। और ये भी फ़ख़्र की बात है कि उलमा ने इस बारे में कोई कोताही नहीं की बल्कि तज़किरह करने वालों ने मुस्तिक़ल और ज़िमनी तौर पर सदहा सहाबियात के हालात लिखे हैं। इन तज़किरह करने वालों में इब्ने असीरा, इब्ने साद ज़ोहरी हाफ़िज़, इब्ने हजर अस्क़लानी ख़ास तौर पर काबिले ज़िक्र हैं जिन्होने सहाबियात के हालात लिखने में काफ़ी दिलचस्पी ली है। और वो बहुत हद तक कामयाब रहे। इन हज़रात की लिखावटें, औरतों की तारीख, इस्तेयाब, असाबा, तबक़ातुस्सहाबा, असदुन्नियाबा, तहज़ीबुत्तहज़ीब हैं। इन किताबों में से किसी में 398, किसी में 627, किसी में एक हज़ार सहाबियात रज़ि0 से ज़्यादा के हालात हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा हालात इब्ने हजर अस्क़लानी की किताब असाबा की आठवीं जिल्द ख़ास औरतों के हालात पर आधारित है। यानि इस हिस्से मे लगभग 1545 औरतों का तज़किरा है।

इतनी तफ़सील इसलिये दी जा रही है कि मुसलमान औरतें ख़ास तौर पर "पयाम–ए–अराफ़ात" की पढ़ने वाली बहनें और बच्चियां खुशी महसूस करें कि उनकी बुज़ुर्ग और एहतराम के क़ाबिल औरतें जिनको सहाबियात का शर्फ़ हासिल था किस पाये की थी और उनके हालात कितने तफ़सील के साथ मिलते हैं। इसी कारण किताबों के नाम भी लिख दिये गये हैं जिनमें उनके हालात मिलते हैं। उर्दू ज़बान में भी सहाबियात के हालात पर बहुत सी किताबें लिखी गयी हैं जो बाज़ारों में मिलती हैं। उनमें से कुछ किताबें केवल उम्महातुल मोमीनीन के हालात पर आधारित है और कुछ केवल बिनातुन्नबी स0अ0 के तज़किरह पर हावी हैं। और कुछ अकाबिर व अन्सार सहाबियात के वाक़्यात को पेश करती हैं जिनका अध्ययन ज़रूरी है।

अब आख़िर में उन विशेष योग्यता वाली और अनुसरण योग्य कुछ सहाबियात के नाम पेश किये जाते हैं जिनके हालात तफ़सील से मिलती हैं। और जो बारगाहे नबवी स0अ0 में आली मरतबा थीं। इन मुबारक औरतों में पहला नाम उम्मेहातुल मोमीनीन रज़ि0 का था जिनकी सख्या ग्यारह थीं और उम्मेहातुल मोमीनीन में हज़रत ख़दीजा रज़ि0, हज़रत आयशा रज़ि0, हज़रत हफ़्सा रज़ि0, हज़रत सौदह रज़ि0, हज़रत ज़ैनब रज़ि0 उम्मुल मसाकीन, हज़रत उम्मे सलमा रज़ि0, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ि0, हज़रत जुवेरिया रज़ि0, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ि0, हज़रत मैमूना रज़ि0, हज़रत सफ़िया थीं जिनके एहसानात से उम्मते मुस्लिमा उबर नहीं सकती।

इसके बाद बिनात तैय्यबात रज़ि0 थीं जिनमें हज़रत ज़ैनब रज़ि0, हज़रत रुक़ैया रज़ि0, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ि0, हज़रत फ़ातिमा रज़ि0 उम्मुल हसनैन सैय्यदतुल निसा अहलुल जन्ना हैं। ये चारों हुज़ूर अक़दस सरवरे कायनात स0अ0 की महबूब साहबज़ादियां थीं और आप स0अ0 की जगह गोशा थीं, खुदा उन सब की क़ब्रों को नूर से भर दे।

आम सहाबियात में मख़सूस और क़ाबिले तक़लीद व क़ाबिले रश्क़ औरतों में हज़रत सफ़िया अम्मतुन्नबी थीं।

हज़रत सुमैया रज़ि0, उम्मे सलीम रज़ि0, उम्मे अम्मारा रज़ि0, उम्मे हानी रज़ि0, फ़ातिमा रज़ि0 बिन्त ख़िताब, असमा बिन्त अबी बकर रज़ि0, असमा बिन्त यज़ीद, उम्मे हकीम रज़ि0, ख़न्सा रज़ि0, उम्मे हराम रज़ि0, खौला बिन्त हकीम रज़ि0, शक़ा रज़ि0, असमा बिन्त उमैस रज़ि0 लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इनके अलावा एक बड़ी तअदाद सहाबियात की है जिनकी कुर्बानियों, कारनामों और इल्मी व अमली ख़िदमात न भूलने के लायक़ है। अल्लाह तआला सारी मुसलमान औरतों को इन सहाबी बीबियों की पैरवी करने की तौफ़ीक़ दे।

आख़िरत से ग़फ़लत

मौलाना मुहम्मदुल हसनी रह०

"वो दुनियावी ज़िन्दगी का भी सिर्फ़ ज़ाहिर जानते हैं और आख़िरत से वो बिल्कुल ग़ाफ़िल हैं"

कुरआन मजीद का ऐजाज़, अल्लाह के कलाम की हैसियत से उसकी हर आयत, हर लाइन, बल्कि एक एक लफ़्ज़ और हुरुफ़ से नुमाया हैं।

यहां उन लोगों का ज़िक्र किया जा रहा है जिनके मुतअल्लिक़ ये समझा जाता है कि वो दुनिया से और चीज़ों की हक़ीक़त से बहुत वाक़िफ़ हैं, बहुत शुऊर वाले और बहुत होश मन्द है, जहां दीदा और सर्द व गर्म देखे हुए है। और दुनिया में कामयाब और अकसर लोगों की निगाह में काबिले रश्क ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं लेकिन कुरआन मजीद के कुछ शब्दों में उनका सारा तिलिस्म पाश–पाश कर देता है। वो कहता है कि ये लोग जिनको तुम बहुत तरक़्क़ीयाफ्ता, दानिशमन्द और आजकल के शब्द में दानिशवर समझ रहे हो, दुनियावी ज़िन्दगी की अस्ल हक़ीक़त की उनको हवा भी नही लगी, ये केवल उसका ज़ाहिर देखते हैं, और उसकी ज़ाहिर ख़ुशहाली पर रीझ गये हैं।

जिस तरह बच्चे या नासमझ इन्सान, ज़ाहिरी चमक–दमक और जेब व ज़ीनत को ललचाई निगाह से देखते हैं और उसकी हक़ीक़त और अन्जाम तक उनकी रसाई नही होती। वो ये नही जानते कि ये ऐसा रंग है जो शाम होने से पहले उतर जाएगा और ऐसा खिलौना है जो देखते ही देखते टूट–फूट जाएगा। उसी तरह ये फ़लसफ़ी, ये सियासतदां, बड़े–बड़े कारोबारी और उद्योगपति जिनके यहां सैंकड़ों, हज़ारों पढे लिखे नौकर हैं, फिर उनके असर से आम लोग दुनियावी ज़िन्दगी का सिर्फ़ एक रुख़ जानते हैं, और जिस तरह चांद का एक रुख़ हमेशा छिपा रहता है इसी तरह इस तस्वीर का दूसरा रुख़ उनकी निगाहों से ओझल रहता है।

कुरआन मजीद ने ये नही कहा कि वो दुनिया के तो माहिर हैं, आख़िरत को नही जानते, वो ये चैलेंज देता है कि वो दुनिया की हक़ीक़त को भी नहीं जानते, उसकी साबित क़दम न होना, उसका इंकलाब, उसके अन्दर काम करने वाले पर्दे के पीछे के ग़ैबी इशारे, ना समझ में आने वाले वाक़्यात, खुशहाली, बेचैनी, नाकाम फ़ुतूहात, आराम के बावजूद बेआरामी, और साधनों के बावजूद महरूमी, दौलत में रहते हुए फ़कीरी ऐसी ताबनाक और कई बार दर्दनाक हक़ीकतें है कि कोई उनसे नज़र नही फैर सकता कुरआन मजीद दूसरी जगह कहता है:

(अनुवादः ये सारी नेमतें और ऐश के सामान उनको दे रखा है ताकि उसी के ज़रिये उनको अज़ाब दे और कुफ़्र की हालत में उनकी जान में निकले)

उन चीज़ों की अस्ल हक़ीक़तें तो आख़िरत में ज़ाहिर होंगी, जब ये माल व दौलत के अन्बार, (जो ज़ुल्म व ज़्यादती के साथ जमा किये गये और नफ़्स की हवस को पूरा करने और खुदा की नाफ़रमानी और बग़ावत के लिये इस्तेमाल किये गये) उनके गले का तौक़ बन जाएंगे और उनकी पेशानियों और पहलुओं को उससे दाग़ा जाएगा, लेकिन इस दुनिया में भी उसकी जुलमत, बेबरकती, बेआरामी, ज़ाहिर होती है, और साफ़ नज़र आता है कि इन चीज़ों में बजाए खुद आराम व सुख पहुंचाने की कोई सलाहियत नही है। अगर ऐसा होता तो दौलत हासिल करने के बाद हर आदमी ज़रूर खुश रहता। उहदा व पद हासिल करने के बाद हर शख़्स संतुष्ट ज़िन्दगी गुज़ारता, लेकिन ऐसा नही होता, अल्लाह जब चाहता है सारे साधन मौजूद होते हुए नाकाम बना देता है और बग़ैर सबब और साधन के कामयाब कर देता है। दो आदमी हैं, एक ग़रीब व नादार, लेकिन खुश व संतुष्ट, राज़ी बरज़ा, शाकिर व साबिर, ईमानदार और मेहनती, एक दौलतमन्द है लेकिन बेचैन, ख़ाएफ़, बेआराम न शुक्रगुज़ार, नाराज़ बददियानत, ये वही दुनिया के जाहिर और बातिन का अन्तर है। ज़ाहिर वो जो भी सामने नज़र आता है, बातिन वो जिसमें खुदा की ग़ैबी ताक़त काम करती है। इस को हदीस नबवी में इस तरह अदा किया गया है।

(यानि बेहतर दौलत दिल की दौलत है और बेहतरीन तोशा और ज़ादेराह तक़्वा है चाहे दिल की ये दौलत यानि दिल का सुकून, शरहे सदर हुक्म इलाही के आगे सर झुका देना और उस पर खुश बल्कि मस्त व बेखुद रहना, माद्दा परस्तों को नज़र न आये, और चाहे तक़्वा के रास्ते में जाहिरी तौर पर नफ़्स मारना सब्र और दुशवारी और क़ुर्बानी नज़र आती हो।)

उम्मत के इख़्तिलाफ़ और उनका हल

मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

जब हम इस्लामी शरीअत पर ज़रा गहरी निगाह डालते हैं जो कि क़यामत तक चलने वाले दीन की शरीअत है और इस ज़मीन के सारे इलाक़ों के लिये है तो हमको इसके पीछे की हिकमत नज़र आती है जिससे इस्लामी शरीअत के अल्लाह की शरीअत होने का ऐसा सुबूत मिलता है जैसे दोपहर में सूरज के वजूद का। हुज़ूर स0अ0 ने दीन को आसान बताया और फ़रमायाः "दीन आसान है" और ये भी फ़रमाया कि इसको सख़्त बनाकर कोई अपना ज़ोर दिखाने की कोशिश करेगा तो हार जायेगा। इसीलिये संतुलित और आसान बात अपनाने की हिदायत दी गयी है ताकि दीन पर अमल करने में किसी को परेशानी न हो। अगर ये चीज़ न होती तो एक जगह दीन के कुछ हुक्मों पर आसानी से अमल होता और दूसरी जगह परेशानी हो जाती और इस दीन के पूरी दुनिया के लिये होने वाली बात पर और क़यामत तक रहने वाली बात सच न साबित होती। हुज़ूर स0अ0 ने दीन के जो हुक्म बताये हैं उनमें आवश्यकतानुसार छूट रखी गयी है और आप स0अ0 ने अमल करने में बहुत से कामों में अलग–अलग तरीक़े अपनाये और कई मौक़ो पर सहाबा रज़ि0 के काम करने के ढ़ंग में भिन्नता को स्वीकार किया। मानों की बहुत से कामों में उनके बहुत से एतबारों के आधार पर सहूलत व छूट की गुंजाइश रख दी, जिससे आवश्यकतानुसार फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह ये भी हुआ कि आप स0अ0 के बहुत से कामों में अलग–अलग तरीक़े अपनाने या अलग–अलग हुक्म देने को अलग–अलग सहाबा रज़ि0 ने अपने–अपने मौक़ों पर अलग–अलग देखा तो अलग–अलग बयान भी किया। ऐसी सूरत में बिल्कुल शुरू के ज़माने में ऐसे हुक्मों के सिलसिले में जो किसी तरह का फ़र्क़ महसूस किया गया तो उनकी व्याख्या व उनको निश्चित करने में उलमा की रायों में भी कुछ फ़र्क़ हुआ, इसके नतीजे में बहुत से फ़िक़्ही मज़हब बन गये। लेकिन सबकी अस्ल एक है और उन सबका उद्गम स्त्रोत ख़ुद आप स0अ0 की कोई बात या काम है। आप स0अ0 की किसी बात या किसी काम में फ़र्क़ या अन्तर किसी भूल–चूक का नतीजा नहीं। अल्लाह का नबी जो शरीअत बयान करने वाला है वो भूल–चूक में कैसे पड़ सकता है? और जो शरीअत क़यामत तक के लिये दी गयी है उसमें कमी कैसे हो सकती है? अस्ल में ये अल्लाह तआला की तरफ़ से एक नेमत व रहमत है। हमें बहुत से मज़हबों की फ़िक़ में पानी की पाकी में सख़्ती मिलती है और बहुत से में छूट मिलती है। इसमें अगर एक ही पैमाने को लागू कर दिया गया होता तो जिन इलाक़ों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है वो बहुत परेशानी में पड़ते। अगर उनके लिये पानी के पाक होने की सख़्ती ज़रूरी कर दी गयी होती और जहां पानी की अधिकता है वहां के पाक होने में बहुत ज़्यादा छूट एक अनावश्यक बात होती। इसी तरह समन्दर के किनारे रहने वालों के लिये अगर पानी के बहुत कम प्रकार के जानवर ही निश्चित कर दिये जाते हैं तो उनको परेशानी होती जो कि समन्दर व पानी के केन्द्रों से दूर रहने वालों के क्षेत्रों में नहीं होती जहां इस सहूलत की न तो आवश्यकता है और न ही मांग है। हुक्मों में इस तरह का भिन्नता व वृहदता जो विभिन्न रिवायतों या सहाबा के अलग–अलग अमल से मिलता है और उसमें भिन्नता पायी जाती है, दरअस्ल इस्लाम की तरफ़ से मानवीय आवश्यकताओं में छूट और हर इलाक़े के लिये उसकी उपलब्धता हैं जो हमको इस भिन्नता में मिलती है जो आदेशों के वैचारिक अर्थों से विभिन्न धर्मों के फ़ुक़्हा के यहां पाया जाता है और उनका उद्गम स्त्रोत हुज़ूर स0अ0 से मिलता है जो आप स0अ0 के अमल व हुक्म या उसी से अनुसार होने के कारण सब भिन्नता अपनी–अपनी जगह

पर हक़ हैं और ये अल्लाह तआला की तरफ़ से अस्ल छूट और नेमत है। जब मसलक पूरी दयानत व अमानत के साथ कुरआन व हदीस से लिया गया हो और लिया जाने वाला इल्म व खोज के लिहाज़ से भी हो और तक़्वा व लिल्लाहियत के साथ भी परिपक्व हो तो काम को गुमराही कैसे समझा जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा इजतिहादी ग़लती (सम्पूर्ण ईमानदारी से की जाने वाली खोज के बाद होने वाली ग़लती) समझी जा सकती है और उस पर भी सवाब है। इस भिन्नता में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिये और सिर्फ़ अपने को अहले हक़ और दूसरों को ग़लत न करार देना चाहिये। ये बात बहुत ध्यान देने की है। कुरआन मजीद में बनी इस्राईल के लगभग इसी तरह के विरोधाभास और अपने से भिन्न को तकलीफ़ पहुंचाने पर सख़्त नापसंदीदगी प्रकट की गयी है और मुसलमानों को एकता व इस्लामी भाईचारगी की पूरी ताकीद की गयी है।

लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि सभी मसलकों के ये स्वीकार करने के बावजूद के अहले सुन्नत के प्राख्यात व प्रचलित फ़िक़ सब हक़ पर हैं, चाहे वो हनफ़ी हों, शाफ़ई हों और चाहे हम्बली हों या मालिकी, चाहे हम्बली फ़िक़ के अन्तर्गत हो जैसे सलफ़ी। लेकिन इन अलग–अलग फ़िक़्हों के मानने वाले मसलिकी पक्षपात में कई बार आपस में एक दूसरे से भिन्नता में ऐसी शिद्दत बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि मसला इस्लाम और कुफ़्र के बीच का हो और जैसे कि वही अकेले हक़ पर हैं और जो उनके मसलक के ख़िलाफ़ दूसरे मसलक का है वो बिल्कुल गुमराह है। और ये बात कई बार बहुत गंभीर स्थिति का रूप धारण कर लेती है। अतीत में भी ऐसा हुआ है और इस समय भी इस्लामी दुनिया में बहुत से लोगों में शिद्दत वाला रूझान नामुनासिब तरीक़े से उभरने लगा है। इस टकराव से ये उम्मत अकेली उम्मत नहीं रह जाती जबकि हर मसलक वाला अपने को अस्ल मुसलमान और दूसरे को गुमराह समझता है और कई बार ये दोनों एक दूसरे के पीछे नमाज़ तक नहीं पढ़ते। हालांकि कुरआन मजीद में और हदीस शरीफ़ में साफ़–साफ़ इशारे आयें हैं और ताकीद आयी है कि आपस में फूट न डालें। एक उम्मत बन जाओ। कुरआन मजीद में आया है:

"ये तुम्हारी उम्मत एक उम्मत है और मैं तुम्हारे रब की इबादत करता हूं।" (अलअम्बिया: 92)

और अम्बिया अलै0 के लिये ये अक़ीदा बताया गया है कि:

"हम किसी रसूल के दरमियान फ़र्क़ नहीं करते।" (बक़रह: 285)

हालांकि उनकी शरीअतों के हुक्मों मे अन्तर रहा है और मुसलमान को आपस में भाई–भाई बनकर रहने का हुक्म दिया गया है। भाई–भाई में जिस तरह मामूली चीज़ों में भिन्नता होती लेकिन उनके भाई होने में फ़र्क़ नहीं पड़ता। इसी तरह कुरआन व हदीस से ईमान व इख़्लास की विशेषता के साथ खोज का अमल अपनाने वाले को प्रयास व हक़ के अनुसार स्वीकार किया जायेगा। इसके साथ सम्मान का मामला किया जायेगा। चाहे हक़ीक़त के एतबार से उससे कोई इज्तिहादी ग़लती हुई हो। हमारे बुज़ुर्गों ने इसी की पाबन्दी की है। इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं।

इमाम इब्ने तैमिया रह0 ने अपने मजमूआ फ़तावा में इसको तफ़्सील व ताकीद के साथ बयान किया है। और हमको अपने इक़्तिदा के लायक़ बुज़ुर्ग के आपस में इख़्तिलाफ़ करने और अपनी–अपनी राय पर जम कर बात करने के बावजूद आपस में मुहब्बत के साथ रहने और मामला करने की ख़ासी मिसालें मिलती हैं। इमाम शाफ़ई रह0, इमाम अहमद बिन हम्बल रह0 और दूसरे लोगों के हालात देखिये तो वो आपस में इसी रवादारी पर अमल करते रहे हैं। ज़रूरत है कि इस तर्ज़ को क़ायम रखा जाये। वरना हर मसलक अपने को अस्ल हक़ पर समझेगा और दूसरे के हर मसलक को गुमराह समझेगा और इस तरह दीन इस्लाम एक छोटे से मसलक में संकुचित होकर रह जायेगा जो किसी तरह आख़िरी नबी स0अ0 की क़यामत तक रहने वाली इस महान उम्मत के लिये सही नहीं है। दीन की बुनियादों पर एकमत होने के साथ ऊपरी कामों में भिन्नता आपस में दुश्मनी का कारण नहीं बनना चाहिये। इसको सारे सहमति देने वालों और सारे उलमा–ए–अस्लाफ़ ने स्वीकार किया है, बल्कि उस पर अमल किया है।

शराब — घातक ज़हर

मौलाना सैय्यद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी

"ऐ ईमान वालों! शराब और जुआ और पांसे और गन्दी बातें शैतान के काम हैं।"

रिवायत पसन्द और आदर्श शासन और रिवायात के हामी समाज में शराब एक बड़ा गुनाह और संगीन जुर्म है समझा जाता था। शराब पीने वाले को सज़ाएं दी जाती थीं और निन्दनीय समझा जाता था। शराब पीने वाले को किसी भी समाज और सोसाइटी में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। उनके यहां ये समझा जाता रहा है कि ये एक बुरी लत है और सेहत के लिये बहुत ही ख़तरनाक है। इससे बहुत सी ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं कभी–कभी डॉक्टरों के लिये भी मुश्किल हो जाता है।

ये बात साबित है कि शराब चारित्रिक गिरावट का कारण बनती है और बहुत सी बुराइयों को जन्म देती है। ये इन्सान की योग्यता को नष्ट करने का एक यन्त्र है। हदीस शरीफ़ में आता है:

"शराब तमाम गुनाहों की जड़ है।" शराब पीने से रोकने के लिये बहुत से देशों ने विभिन्न उपाय किये और बेपनाह दौलत ख़र्च की और क़ानून बनाये और उसकी रोकथाम के लिये उपाय किये गये लेकिन अन्त में परिणाम ये निकला कि सारी कोशिशें बेकार साबित हुई और उसकी निंदा करने वाली मीडिया को बजाये इसके कि शराब की रोकथाम में उन्हें सफलता प्राप्त होती वो और उन्नति का कारण बना और उनके शराब पीने को बढ़ावा मिला। इसलिये कि शराब के नुक़सान बहुत छिपे हुए और जल्दी न प्रकट होने वाले हैं। आख़िरकार परिणाम ये निकला कि उनकी प्रयास असफल हुए और सभी देशों में शराब पीना अपनी जगह बरक़रार है।

इन्हीं नुक़सानों और शराब से पैदा होने वाले विभिन्न बीमारियों, चारित्रिक गिरावट और बेहयाई को देखते हुए अमरीका की पार्ल्यामिन्ट में शराब विरोधी क़ानून बहुमत से पास हुआ। लेकिन इस क़ानून के बावजूद दिन पर दिन बढ़ोत्तरी हुई और इस क़ानून को आख़िरकार नाकामी का मुंह देखना पड़ा।

क़ानून के द्वारा चरित्र या समाज के सुधार का ये सबसे बड़ा अनुभव था जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। अट्ठारहवें बदलाव से पहले कई साल तक एन्टी सैलून लीग (।छज्ञ्ै ।स्व्छ स्म्।ळन्म्) रसाएल व जदाएद, भाषण व लेख, तस्वीरें, सिनेमा और बहुत से दूसरे तरीक़ों से शराब की हानियां अमरीका वालों के दिलो दिमाग़ में बिठाने की कोशिश की गयी और इस प्रचार में पानी की तरह पैसा बहाया गया। अन्दाज़ा किया गया है कि आन्दोलन के आरम्भ से लेकर 1925 ई0 तक प्रचार प्रसार पर साढ़े छः करोड़ डालर ख़र्च हुए। शराब के विरोध में जितना लिट्रेचर लिखा गया वो लगभग 19 हज़ार पन्नों पर आधारित था। इसके अलावा शराब विरोधी क़ानून के लागू करने में जो बार अमरीका को चौदह साल में बर्दाश्त करना पड़ा है वो पूरी 45 करोड़ पौंड बतायी जाती है और हाल में संयुक्म राष्ट्र अमरीका की न्यायपालिका ने जनवरी 1920 ई0 से अक्टूबर 1933 ई0 तक के जो परिणाम प्रकाशित किये हैं उनसे पता चलता है कि इस क़ानून को लागू करने के सिलसिले में दो सौ आदमी मारे गये। 53435 क़ैद किये गये। एक करोड़ साठ लाख पौन्ड के जुर्माने लगाये गये। चालिस लाख की लागत की सम्पत्तियां ज़ब्त कर ली गयीं। लेकिन आख़िरकार दुनिया के इतिहास का ये बड़ा सुधार आन्दोलन बेकार साबित हुआ।

भारत भी लोगों को इस बुरी आदतों को छुड़ाने का इच्छुक था। उसने शराब पीने पर पाबन्दी लगाने की भरपूर कोशिश की इसलिये कि आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये बात थी कि जब कभी सत्ता हाथ में आयेगी तो वो शराब पीने पर पूरी तरह से पाबन्दी लगायेगी। वाक़्या ये है कि इसने पाबन्दी लगाने की कोशिश भी की लेकिन उसकी सभी कोशिशें भारत की शराबखोरी के आगे नाकाम हो गयीं और शराब पीने में बजाये कमी के बढ़ोत्तरी होती गयी। शराब के व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा मिला। सभ्यता व संस्कृति और साधनों

की अधिकता और माल व दौलत की अधिकता के साथ–साथ शराब पीना भी आम होता गया। "मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों–ज्यों दवा की" गुज़रे ज़माने में शराब एक संगीन जुर्म थी इसलिये कि वो चारित्रिक बिगाड़ और जिस्म की सेहत में बिगाड़ पैदा करने वाली थी और चिकित्सीय दृष्टिकोण से भी ये एक हानिकारक वस्तु है। लेकिन चूंकि इसके नुक़सान तुरन्त दिखाई नहीं देते बल्कि इसके प्रभाव अनभिज्ञ रूप से प्रकट होते हैं इसीलिये जो लो दीनी सोच व विचार नहीं रखते वो उन देशों और इस्लाम की लगायी गयी पाबन्दियों पर तरह–तरह के ऐब लगाते रहे और टिप्पणियां करते रहे, और उन पाबन्दियों को हिक़ारत की निगाहों से देखते रहे, और उसको रूढ़िवादी सोच का परिणाम घोषित करते रहे।

शराब के बारे में कहा जाता था कि वो धीरे–धीरे असर करने वाला ज़हर है। कुछ लोग इसके ज़हर होने को भी मानने वाले न थे बल्कि इसको ख़ास दीनी या अख़लाक़ी कमज़ोरी समझते थे। लेकिन बीते कुछ समय में पेश आने वाले वाक़यों से साबित हुआ कि शराब घातक ज़हर है। उसकी जीती–जागती मिसाल भारत के कुछ शहरों में होने वाली घटनांए और हादसे हैं। दिल्ली में होने वाली घटना इसकी गवाह है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस तरह की घटनांए शादी–ब्याह और त्योहारों के मौक़ो पर भी सामने आ चुकी है। लेकिन इसे एक इत्तेफ़ाक़ की चीज़ समझकर बजाये इसके कि इबरत हासिल की जाये, नज़र अन्दाज़ किया गया। दिल्ली की घटना आपके सामने है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार दो सौ लोग मौत की नींद सो गये और एक बड़ी संख्या ख़तरनाक जिस्मानी बीमारी में घिरी है। राजकोट में भी पच्चीस लोगों की मौत हो गयी है और उन्हीं दिनों दक्षिणी भारत में दस लोगों की जानें गयीं और इसके अलावा बड़े पैमाने पर हादसे होते हैं जिसका न तो अख़्बारों में कोई चर्चा है और न ही कोई चैनल कोई जानकारी देता है।

ये लरज़ा देने वाले और दर्दनाक हादसे दिमाग़ में तरह–तरह के सवाल पैदा करते हैं। इन घटनाओं के बाद शराब पीना अमन व शांति, मानवता के लिये मौत व ज़ेस्त की समस्या बन चुकी है और उसके नुक़सान बिल्कुल सामने आ चुके हैं और इस पर पर्दा डालना नामुमकिन है।

अब ये समस्या केवल दीनी ही नहीं रही कि दीनी विचारों वाले व्यक्ति ही इस पर विमर्श करें, बल्कि स्थिति ये है कि राजनीतिज्ञ व कानून के रक्षकों को भी इस पर गंभीरता ये विचार विमर्श करके इस समस्या का हल खोजना चाहिये।

सभी ज़िम्मेदार हुकूमतें उन सभी दवाओं पर जिनमें एक ज़रा भी नुक़सान का एहतमाल होता है, पाबन्दी लगाती हैं और लाइसेंस और परमिट ज़ब्त किये जाते हैं। शराब के नुक़सान इसके मुक़ाबले कहीं ज़्यादा हैं। अल्लाह तआला का इरशाद है:

"लोग आपसे शराब और क़िमार की बात पूछते हैं, आप कह दीजिये कि इनमें बड़ा गुनाह है और लोगों के लिये मनाफ़े भी हैं और उनका गुनाह उनके मनाफ़े से कहीं बढ़ा हुआ है।"

अतः आवश्यकता इस बात की है कि शराब पर पाबन्दी लगाने के लिये और नौजवान नस्ल को इस बुरी आदतों से बचाने के लिये कोई निर्णायक क़दम उठाया जाये क्योंकि ये ऐसा ज़हर है जो असलहों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर इस सिलसिले में कोई रोकथाम न की गयी और कोई ठोस क़दम न उठाया गया तो भविष्य में इससे भी अधिक ख़तरनाक स्थिति पैदा हो सकती है।

"शराब से बचते रहो ताकि कामयाब हो जाओ।"

इतिहास के झरोकों से

• औन बिन मुअतमर कहते हैं : एक दिन हज़0 उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह0 ने अपनी बीवी से पूछा कि तुम्हारे पास कोई दिरहम है जिससे मै अन्गूर ख़रीद सकूं? उसने जवाब दिया एक दिरहम भी नही। फरमाया कुछ पैसे ही हों तो बताओ, उसने कहा, पैसे भी नही है, और आप तो उमुलमोमीनीन हैं मगर एक दिरहम भी आप के पास नही? फरमाया, जहन्नम की बेड़ियां पहनने से तो ये आसान ही है।

• मुस्लम्मा बिन अब्दुल मलिक हज़0 उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह0 से मिलने गये, देखा कि बदन पर मैला कुर्ता है, आप की बीवी से जो कि मुसलम्मा की बहन थी उन्होने कहा : कुर्ता धो दिया करो, कहने लगीं, ठीक है धो देती हूं। मुसल्लमा दोबारा आये तो कुर्ता का फिर वही हाल देखा, बहन से वही कहा जो पहले कहा था तो उसने जवाब दिया, मैं क्या करूं, उनके पास इसके अलावा दूसरा कोई कुर्ता भी तो नहीं!

मुस्लिम न्याय पालन के शानदार नमूने

मौलाना मुहम्मद इज्तिबा नदवी

इस्लाम की नुमायां विशेषता अल्लाह की ज़मीन में न्याय स्थापित करना था। और जुल्म व जोर से इन्सानी बस्ती को पाक साफ़ करना और शांति अमन व प्रेम और भाईचारे का केन्द्र बनाना था। इसलिये कुरआन पाक और आप स0अ0 की हदीसों में जगह जगह न्याय स्थापित करने और अपने और ग़ैरों के साथ न्याय करने का आदेश और ताकीद पायी जाती है। मिसाल के तौर पर कुछ आयतें दी गयी हैं।

पहली आयत है:

(अनुवादः बेशक तुमको अल्लाह तआला इस बात का हुक्म देते हैं कि अधिकार वालों को उनके अधिकार पहुंचा दिया करो, और ये कि जब लोगों का जांच करो तो न्याय किया करो, बेशक अल्लाह तआला जिस बात की तुमको नसीहत करते हैं वो बात बहुत अच्छी है इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तआला खूब सुनते हैं, खूब देखते हैं)

दूसरी आयत है:

(अनुवादः और जब बात किया करो तो इन्साफ़ रखा करो चाहे वो शख़्स रिश्तेदार ही हो)

तीसरी आयत है:

(अनुवादः ऐ ईमान वालों! अल्लाह के लिये पूरी पाबन्दी करने वाले इन्साफ़ के साथ शहादत देने वाले रहो, और ख़ास लोगों की नफ़रत तुम्हारे लिये इसका कारण न हो जाए कि तुम न्याय न करो, न्याय किया करो कि वो तक़्वे से ज़्यादा क़रीब है।)

न्याय व इन्साफ़ में अपना भाई, और ग़ैर, दोस्त और दुश्मन, छोटा और बड़ा, मर्द और औरत, और बच्चा सब एक तरह और बराबर हैं। रसूलुल्लाह स0अ0 ने इन्साफ़ करने वाले इन्सान, हाकिम और जज को बड़े बुलन्द शब्दों में याद किया है, क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़ा पर आ जाएगा और लोग धूप और तपिश से बिलबिलाते फिर रहे होंगे और केवल सात प्रकार के मनुष्यों को ख़ुदा का साया हासिल होगा उनमे इन्साफ़ करने वाला व्यक्ति भी शामिल होगा।

आइये इस रोशनी में मुसलमान की ज़िन्दगी के कुछ इबरतनाक वाक़्ये भी सुनते चलिये! हुजूर अकरम स0अ0 मदीना हिजरत कर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा पर इस्लाम का साया फैल चुका है। अल्लाह के हुक्म इन्सान की रगों में पेवस्त हो रहे हैं। इबादत गुज़ारी का शौक़ व ज़ौक़ है। अगर भूल चूक से कोई गुनाह हो जाता तो खुद ब खुद सज़ा के लिये नबी स0अ0 के दरबार में हाज़िर होकर कफ़्फ़ारा की मांग कर लेते हैं। मगर इसी बीच में एक ऐसा वाक़्या पेश आता है जो रहती दुनिया तक के लिये रोशनी का मीनार और इन्साफ़ का श्रेष्ठ उदाहरण साबित होता है। क़बीला–ए–कुरैश के एक आला ख़ानदान बनू मख़ज़ूम की एक औरत चोरी की करती है और मौक़े पर पकड़ ली जाती है। उन्हे सज़ा के लिये पेश कर दिया जाता है। कुरैश को सख़्त सदमे और ज़िल्लत का एहसास होता है। कुरैश किसी तरह इस औरत को सज़ा से बचाना चाहते हैं, मगर रसूलुल्लाह स0अ0 से सिफ़ारिश कौन करे। एकदम से उन्हे ख्याल आता है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद हूजुर अकरम स0अ0 को बहुत अज़ीज़ और प्यारे हैं अगर वो इस सिलसिले में बात करेंगे तो उनकी सिफ़ारिश कुबूल करने के क़ाबिल होगी। हज़रत उसामा कुरैश के कहने से हुजूर अकरम स0अ0 की ख़िदमत में सिफ़ारिश लेकर हाज़िर हुए, हुजूर अकरम स0अ0 का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया, फ़रमायाः "उसामा तुम अल्लाह तआला के मुकरर सज़ा के बारे में सिफ़ारिश करने आये हो? इसके बाद मेम्बर पर गये और फ़रमायाः "तुमसे

पहले के लोग इसलिये हलाक हो गये कि अगर उनका कोई सम्मानित व्यक्ति चोरी करता तो उसे छोड़ देते और अगर कमज़ोर व कमतर आदमी चोरी करता तो उसे सज़ा देते, खुदा की क़सम अगर फ़ात्मा बिन्त मुहम्मद चुराती तो मैं उसका हाथ काटने का हुक्म देता।"

न्याय का अटल व बेलाग फैसला है, जो उम्मते मुस्लिमा की हमेशा रहनुमाई करता रहेगा।

अमीरुल मोमीनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि0 की ख़िलाफ़त का दौर है। फ़ौज और इन्तिज़ामिया की व्यवस्था हो रही है। हर हर कदम पर भाईचारा, बराबरी, और इन्साफ़ मद्देनज़र है। कोई अधिपत्य, कोई भेदभाव, नहीं है। लेखक बयान करता है कि अमीरूलमोमीनीन के एक साहबज़ादे नशे की हालत में पाये जाते हैं। धीरे–धीरे ख़बर उनको पहुंचती है। हुक्म होता है कि साहबज़ादे को हाज़िर किया जाए, खोज से ख़बर सही साबित होती है। कोड़े लगाने का हुक्म दिया जाता है। साहबज़ादे बीमार हैं, लोग सिफ़ारिश करते हैं कि सेहतमन्द होने तक सज़ा टाल दी जाए। हज़रत उमर फ़ारूक़ फ़रमाते हैं कि ये नामुमकिन है, और आदेश का पालन हो जाता है। और कुछ समय बाद शायद कोड़ो के असर से वो खुदा को प्यारे हो जाते हैं।

इन्साफ़ परवरी का एक वाक़्या और ख़िदमत में पेश है। अमीरुलमोमीनीन हज़रत अली रज़ि0 की ख़िलाफ़त का दौर है हज़रत अली प्रजा के हाल लेने के लिये गश्त कर रहें हैं। अचानक उनकी नज़र एक ईसाई पर पड़ती है। उसके पास अपनी ज़िरह नज़र आती है वो उसको लेकर शहर के क़ाज़ी के पास जाते हैं और वो एक आम आदमी की तरह उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा पेश करते हैं कि ये ज़िरह मेरी है और मैने इसे बेचा है और न ही हदिया की है। शहर के क़ाज़ी ने ईसाई से पूछा कि क्या अमीरुलमोमीनीन जो कुछ कह रहे हैं उसमें तुम्हे कुछ कहना है। ईसाई ने कहा कि ज़िरह तो यक़ीनन मेरी है, मगर अमीरुलमोमीनीन मेरे नज़दीक छोटे आदमी नहीं है, शरीह ने हज़रत अली रज़ि0 से मुख़ातब होकर पूछा कि मेरे अमीरुलमोमीनीन कोई सबूत है? हज़रत अली रज़ि0 हंस दिये, और फ़रमाया, शरीह ने ठीक कहा, मेरे पास कोई सुबूत तो है नहीं इसलिये क़ाज़ी शरीह ने फ़ैसला सुनाया कि ज़िरह ईसाई को दे दी जाए ईसाई उसे लेकर जाने लगा और अमीरुलमोमीनीन उसे देखते रहे कुछ दूर जाकर वो वापस आया और दर्द भरी आवाज़ में कहा कि: मैं गवाही देता हूं कि ये अम्बिया के हुक्म हैं। अमीरुलमोमीनीन मुझे अपने क़ाजी के सामने पेश करते हैं और वो मेरे ख़िलाफ़ फैसला देता है। —— अमीरुल मोमीनीन! खुदा की क़सम ये ज़िरह आपकी है जब आपने सफ़ीन की तरफ़ कूच किया तो मैं लश्कर के पीछे हो लिया ये ज़िरह आपके बादामी रंग वाले ऊंट पर से निकली हज़रत अली रज़ि0 ने फ़रमाया कि जब तुम ईमान ले आये तो अब ये तुम्हारी है।

इतिहास के झरोकों से

• अबू यज़ीद मदीनी कहते हैं कि हज़0 उसमान बिन अफ्फ़ान रज़ि0 के एक सेवक ने किस्सा सुनाया कि एक दिन बहुत गर्मी थी, लू चल रही थी, मै हज़0 उसमान बिन अफ्फ़ान रज़ि0 के पीछे पीछे चल रहा था। सदक़ा के ऊंटों की बाड़ मे पहुंचे, वहां लुन्गी और चादर मे लिपटा एक व्यक्ति नज़र आया जिसने अपना सर चादर से लपेट रखा था, और ऊंटो को हकाकर बाड़ मे प्रवेश कर रहा था, हज़0 उसमान बिन अफ्फ़ान रज़ि0 ने मुझसे कहा, कौन है? देखो! हम निकट गये तो पता चला कि हज़0 उमर बिन खत्ताब हैं। हज़0 उसमान फरमाने लगे, यहीं हैं ताक़त से भरपूर और ज़िम्मेदारी का ख़्याल करने वाले!

• नोमान बिन हमीद वाक़्या सुनाते हैं : एक दिन मै अपने मामू के साथ हज़0 सुलेमान रज़ि0 की सेवा मे प्रस्तुत हुआ, ये वह समय था जब वह मदाइन के गवर्नर थे, मैने देखा कि वह खजूर के पत्तों की चटाई बिन रहे हैं, बात करते समय कहने लगे! एक दिरहम के पत्तों मे चटाई बनकर तैयार होती है वह बाज़ार मे तीन दिरहम मे बिक जाती है, उनमे से एक दिरहम के फिर पत्ते ख़रीद लेता हूं, एक दिरहम से अपनी और अपने परिवार की आवश्यकता पूरी करता हूं, और एक दिरहम खुदा की राह मे दे देता हूं।

आप अमीरुलमोमीनीन है और आप के पास एक दिरहम भी नही हैं।

तू अगर अपनी हक़ीक़त से ख़बरदार है

मौलाना सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी

अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बेहद मेहरबान है। उसके एहसान इतने बेशुमार और बेहिसाब हैं कि बड़े से बड़ा बन्दा जो हर वक़्त अल्लाह की इबादत में लगा रहेगा वो भी अल्लाह तआला का पूरे तौर से हक़ अदा नहीं कर सकता और अल्लाह तआला ने इसको जो नेमतें अता फ़रमायी हैं उनका हिसाब नहीं कर सकता है और न ही उसका हक़ अदा कर सकता है। बस नेमतों के बदले में बन्दा अपने परवरदिगार का शुक्रगुज़ार, फ़रमाबरदार और उसकी इबादत करता रहे।

कुरआन शरीफ़ में फ़रमाया गया है: "अगर आप अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते" (सूरह नहल : 18) आप ज़रा मानव शरीर पर ही ग़ौर कर लें कि अल्लाह ने कान दिये, नाक दी, सोचने के लिये अक़्ल दी, धड़कने के लिये दिल दिया, मुहब्बत दी, पेट दिया और पेट के अन्दर जाने के लिये क्या रखा? ज़रा सा ख़राब हो जाये तो अस्पताल को दौड़ते–दौड़ते पांव थक जायें और जेब भी ख़ाली हो जाये। ज़रा सी परेशानी हो जाये तो आदमी कितना परेशान हो जाता है?

और अगर इसके आगे ग़ौर करना चाहें तो सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत अता फ़रमायी। मुसलमान बनाया और जनाबे रसूले पाक स0अ0 की उम्मत में पैदा किया। नबियों में भी ऐसे हुए हैं जिन्होने आप स0अ0 का उम्मती होने का शर्फ़ हासिल करना चाहा। ये भी कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलै0 की ये तमन्ना पूरी कर दी गयी। इसलिये अब वो आप स0अ0 के उम्मती की हैसियत से दोबारा दुनिया में तश्रीफ़ लायेंगे और जनाब–ए–रसूले पाक स0अ0 की शरीअत के अनुसार ही फ़ैसले करेंगे। हमको ऐसी उम्मत में पैदा किया ये अल्लाह ही का तो करम है।

अब उसने हुक्म दिया: "कि इन्सान और जिन्नात को पैदा ही इसलिये किया गया कि वो इस दुनिया के पैदा करने वाले की इबादत करें" (सूरह ज़ारियात : 56) और इसके सामने हर वक़्त सजदे करें और कोई लम्हा उसकी इबादत से ग़ाफ़िल न हों लेकिन इन्सान का पेट बनाया और उसमे भूख रख दी बच्चे और बीवियां बनायीं और मुहब्बत रख दी। खेतियां और खलिहान बनाये और संबंध रख दिया और पैसे बनाये और उनकी ज़रूरत रख दी। नतीजा ये हुआ कि कभी पेट कुछ कहता है और कभी नौकरियां कुछ कहती हैं। कभी खेत खलिहान की आवश्यकता होती है और चीज़ें कुछ मांग करती हैं। ये होता रहता है। अल्लाह तआला ने इसके साथ ये सारी चीज़ें रखी हैं। मगर उनको कन्ट्रोल कैसे किया जाये? इसके लिये अल्लाह तआला ने जनाबे मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह स0अ0 को शरीअत देकर भेजा और उस शरीअत के अन्दर दोनों बातों का ख़्याल रखा गया (यानि जो अस्ल चीज़ है उसका भी और उनकी आवश्यकताओं का भी) इन दोनो के संतुलन से काम करने वालों को कामयाब कहा गया है। जो भी उन दोनों आवश्यकताओं को सही अन्दाज़ से शरीअत के साये में रहते हुए पूरा करेगा वो भी इबादत में शुमार कर लिया जायेगा। मतलब ये हुआ कि हम अपनी ज़िन्दगी के सांचे को अल्लाह तआला के क़ानून और हुज़ूर पाक स0अ0 की लायी हुई शरीअत के अनुसार ढ़ालें।

इस सांचे में ढ़ालने का नाम ही इबादत है यानि नमाज़ फ़ला वक़्त पढ़ी जाये। रोज़ा फ़लां महीने रखा जाये। हज फ़लां महीने में किया जाये। ज़कात इतना माल होने पर अदा की जाये। इसके अलावा बीवी का क्या हक़ है? मां–बाप के क्या हक़ हैं? पड़ोसियों और रिश्तेदारों के क्या हैं? अपने बच्चों के क्या हक़ है? देशवासियों के क्या हक़ हैं? खेत खलिहान के क्या हक़ हैं? इन सभी हक़ को जानकर शरीअत के अनुसार अमल करना इबादत है।

इन हक़ों में ज़ाहिर है कि फ़र्क़ होगा। जैसे आपका पूरा जिस्म जिसमें पैर भी है और आंख भी है। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि एड़ी और आंख बराबर है। एड़ी में पत्थर लग जाये तो थोड़ी सी तकलीफ़ मालूम होती है और आंख में तिनका पड़ जाये तो बात ख़राब हो जाती है। से सारी चीज़ें इबादत हैं। लेकिन कोई आंख है, कोई पैर है, कोई पेट है, कोई पीठ है, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये, जैसे: नमाज़ है उसकी हक़ीक़त आंख की है इसीलिये हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा स0अ0 ने फ़रमाया, "मेरी आंख की ठंडक नमाज़ है" (हदीस) और एक मौक़े पर फ़रमाया, "जिसने नमाज़ जानबूझ कर छोड़ दी उसने कुफ़्र किया" (हदीस) इसी तरह तौहीद के अक़ीदे का मामला है वो दिमाग़ की हैसियत रखता है, अगर दिमाग़ नहीं तो आदमी बिल्कुल बेकार है। कितनी ही अच्छी आंख हो,

कितने ही अच्छे हाथ–पैर हों, कितना ही अच्छा पेट और कितनी ही अच्छी पीठ हो सब बेकार हैं! इसी तरह और दूसरे अंगों की हैसियत है। मालूम हुआ कि इन दोनो के जोड़ और संतुलन का नाम इस्लाम है।

इसलिये अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलै0 को पैदा फ़रमाया तो पहले उनका पुतला बनाया और वो पुतला मिट्टी का था और वो मिट्टी केवल एक इलाक़े से नहीं ली गयी बल्कि सारी ज़मीन से मिट्टी से ली गयी जिसमें सख़्त भी और नर्म भी थी और हज़रत आदम अलै0 को बना दिया गया ताकि सारी मिट्टियों की जो विशेषता है वो हज़रत आदम अलै0 के अन्दर एकत्र हो जायें क्योंकि मिट्टी अपने क्षेत्र से अधिक संबंध रखती है और कहा जाता है कि हज़रत आदम अलै0 जन्नत से श्रीलंका में उतारे गये और फिर उनकी औलादें अलग–अलग जगहों में फैल गयीं। अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलै0 का पुतला बनाया, आंख बनायी मगर देखती नहीं थी, हाथ बनाया मगर उठता नहीं था, पैर बनाया मगर चलता नही था, दिल बनाया लेकिन धड़कता नहीं था, पेट बनाया मगर उसमें गर्मी नहीं थी, हज़म करने की ताक़त नहीं थी। जैसे ही अल्लाह तआला ने रूह फूंकी, आंख देखने लगी, दिमाग़ सोचने लगा, दिल धड़कने लगा, आप यूं समझ लें जैसे बिजली का प्लक लगा दिया हो कि उससे फ्रिज भी चलने लगा, हीटर भी काम करने लगा। एक ठंडा कर रहा है और दूसरा गर्म, तो मालूम हुआ कि अस्ल रूह है। इसलिये अगर रूह न हो तो सारी चीज़ें बेकार हैं और जब रूह अस्ल क़रार पायी तो क्यों हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता। इसलिये कि वो नज़र नहीं आतीं। इसलिये अगर बिजली चली जाये तो विरोध किया जाता है क्यों? इसलिये कि हम बिजली की महत्वता को जानते हैं, इसलिये कि आज जितनी मेहनत व मशक़्क़त की जाती है वो सब जिस्म के लिये की जाती है और रूह को हमने पीछे डाल दिया है। रूह की हक़ीक़त जनाब रसूलुल्लाह स0अ0 जानते थे इसीलिये उन्होने इसकी ज़्यादा चिन्ता की। हुज़ूर पाक स0अ0 रहमत–ए–आलम बनकर आये और आपको दोनो जहानों के लिये रहमत कहा गया तो आप स0अ0 ने देखा कि जिस चीज़ के अन्दर भी रूह हो उस पर रहम किया जाये और उसकी ख़िदमत की जाये तो आप स0अ0 ने हुक्म फ़रमाया कि हर जानदार की ख़िदमत पर सवाब है। इसलिये आप किसी प्यासी बकरी को, किसी प्यासी भैंस को, गाय को, यहां तक कि कुत्ते, बिल्ली को भी पानी पिलां दें तो वो आपकी बख़्शिश के लिये काफ़ी हो सकता हैं।

हदीस शरीफ़ में आता है कि एक बदकार औरत थी उसने देखा कि एक प्यासा कुत्ता प्यास की शिद्दत से गीली मिट्टी चाट रहा है तो उसने अपना मोज़ा निकाला! उसके ज़रिये कुंअे से पानी लिया और उसको पिलाया, तो अल्लाह तआला ने उसके लिये जन्नत एलाट कर दी। इसके विपरीत एक व्यक्ति था कि उसने बिल्ली को बांध रखा था न उसको छोड़ता था कि जाये अपना पेट भरे और न कुछ खुद उसे देता था इसलिये उसको जहन्नम में डाल दिया गया। तो जनाबे रसूलुल्लाह स0अ0 को अल्लाह तआला ने ऐसा "रहमतुल्लिआलमीन" बनाकर भेजा कि आप स0अ0 ने सबके लिये आदेश दिये हैं। इसीलिये फ़रमाया कि वो जानवर जिनका गोश्त खाने की इजाज़त दी गयी है, अगर ज़िबह करने की ज़रूरत पड़ जाये तो छुरी वग़ैरह इस तरह रखो कि ज़्यादा देर रगड़ना न पड़े और जल्दी काम हो जाये। क्योंकि अल्लाह ने इन्सान को हर मख़लूक़ का आक़ा बनाया है और खुद चूंकि सारी मख़लूक़ का आक़ा व मौला है इसलिये इस कायनात के आक़ा को हुक्म दिया कि अपने सर को हमारे आगे झुकाव चूंकि सबको तुम्हारे लिये ख़ादिम बना दिया गया है और तुमको अपने लिये चुन लिया क्योंकि तुम आख़िरत के लिये बनाये गये हो। इसलिये अपना सर सिर्फ़ हमारे आगे झुकाव और किसी के आगे न झुकाव। कायनात का ज़र्रा–ज़र्रा हमारा ख़ादिम है। नदियां हमारी ख़ादिम हैं, बादल हमारा ख़ादिम है, पहाड़ हमारे ख़ादिम, समन्दर हमारा ख़ादिम, ये लहलहाते हुए खेत हमारे ख़ादिम, ये कुंवे, पत्थर हमारे ख़ादिम और इस कायनात की हर चीज़ इन्सान की ख़ादिम है। अब इन्सान उनके सामने अगर अपना सर झुकाये तो ये इस बड़े आक़ा की नाफ़रमानी है जिसने हुक्म दिया था, "दुनिया तुम्हारे लिये पैदा की गयी है और तुम आख़िरत के लिये पैदा किये गये हो" अब तुमको सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की होनी चाहिये की आख़िरत में तुम कामयाब व सफल हो और ये इस समय हो सकता है जब आदमी अपनी रूह की फ़िक्र करे। इसलिये अम्बिया किराम जब इस दुनिया में आये तो उन्होने पहली फ़िक्र जो इन्सानों के अन्दर पैदा की वो यही थी कि आदमी अपनी रूह की प्यास बुझाये और अपनी रूह को तरक़्क़ी देने की कोशिश करे। इसलिय कि अगर अल्लाह न चाहे रूह मर गयी तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं। इसके बाद जिस्म ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो वहां वो सड़ गल जाता है। ज़मीन खोदी जाती है तो

हड्डियां मिलती हैं। हड्डियां भी बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। यहां तक कि हड्डी उठाइये तो भुर–भुरा जाती हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं होती।

लेकिन अम्बिया किराम के साथ अल्लाह तआला ने इसके विपरीत मामला किया है। हदीस शरीफ़ में आता है कि: "अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अम्बिया अलै0 के जिस्मों को खाये" (हदीस) या जो अम्बिया किराम से जितना क़रीब होता है अल्लाह तआला अगर उसके जिस्म को चाहते हैं तो बाक़ी रखते हैं। अल्लाह तआला ने नबी करीम स0अ0 के ज़रिये ये हुक्म दिया कि रूह की फ़िक्र की जायेगी तो अल्लाह तआला उसको तरक़्क़ी अता फ़रमायेंगे। इसलिये ज़रूरी है कि आदमी वो तरीक़ा अपनाये जो जनाब–ए–रसूलुल्लाह स0अ0 ने फ़रमाया और वो अकेला तरीक़ा है इल्म का चूंकि इल्म से और फ़िक्र से रूह की प्यास बुझती है और जिस्म की प्यास उस चीज़ से बुझती है जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सामने लिखकर रखी है। यानि कोई नबी, कोई वली ऐसा नहीं है कि खाना न खाये और ज़िन्दा रहे तो मालूम हुआ कि खाना भी ज़रूरी है और उसके साथ इल्म व ज़िक्र भी ज़रूरी है और काम का करना भी ज़रूरी है और उसके साथ इल्म व ज़िक्र भी ज़रूरी है ताकि रूह तरोताज़ा रहे और उसके अन्दर ज़िन्दगी की ख़ुशी और रवानी बाक़ी रहे वरना रूह मर जायेगी, तो जिस्म बेकार, और अगर जिस्म मर गया तो रूह भी तरक़्क़ी नहीं दे सकती क्योंकि दुनिया में बग़ैर रूह के जिस्म नहीं और बग़ैर जिस्म के रूह नहीं। इसलिये दोनों पर मेहनत ज़रूरी है। क़ुरआन करीम में फ़रमाया गया, "यानि तुम ये इल्म हासिल करो कि अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं" (सूरह मुहम्मद : 19) सबसे अच्छा नुस्ख़ा रूह के लिये ये है कि हमारा अक़ीदा ठीक हो जाये। "उसी के हाथ में है पैदा करना और उसी के हाथ में है चलाना" (सूरह आराफ़ : 54) आप को दुनिया का जो ये झमेला नज़र आ रहा है। ये कारोबार दिखाई दे रहा है सब अल्लाह ही ने तो पैदा किया है। कोई उसका शरीक और साथी नहीं और किसी के अन्दर इतनी ताक़त भी नहीं कि चला सके। अल्लाह तन्हा है उस पर न किसी बन्दे का विचार किया जा सकता है और न ही उसके विपरीत किया जा सकता है चाहे वो नबी हो या बड़े से बड़ा वली कि उनको इतना बढ़ाया जाये कि अल्लाह तआला की जगह उनको बिठाया जाये और अल्लाह को वहां से ऐसा नीचे लाया जाये कि बन्दे की सतह पर पहुंचा दिया जाये। ये दोनों बातें ग़लत हैं और यही शिर्क है। अल्लाह तआला बुलन्द व श्रेष्ठ है। वो वैसा ही है जैसा उसने बयान किया। इसलिये न उसकी ज़ात में कोई शरीक और न विशेषताओं में कोई शरीक। न उसके हमपल्ला कोई और न उसके बराबर कोई, न उसके मुक़ाबले का कोई, न उसके पद के बराबर कोई बस वो वैसा ही है जैसा है। लिहाज़ा कोई भी अल्लाह का बन्दा अल्लाह की विशेषताओं से संबंधित नहीं हो सकता। बन्दा बन्दा है, ख़ुदा ख़ुदा है। अब ज़रा शिर्क का इतिहास पढ़िये तो मालूम होगा कि हमेशा यही हुआ है कि या तो ऊपर वाले को नीचे लाया गया है या नीचे वाले को ऊपर उठाया गया है और उसको इतना बढ़ाया गया कि अल्लाह की विशेषताओं में उसे शरीक समझ लिया। आप ज़रा हज़रते ईसा अलै0 के मानने वालों का अक़ीदा देखिये तो मालूम होगा कि उन्होने हज़रत ईसा अलै0 को अल्लाह का बेटा बना दिया, लेकिन जब बेटे से भी जी न भरा (क्योंकि बहरहाल बेटा कुछ कम होता है) तो कह दिया कि नहीं बल्कि वो ख़ुद ही ख़ुदा हैं। ये सब जिहालत और इल्म न होने की वजह से हुआ। इसीलिये फ़रमाया गया: (इल्म हासिल करो) और इल्म न होने की वजह से ही ये कहा जाता है कि "जनाबे रसूलुल्लाह स0अ0 ऐसे थे कि उनकी तारीफ़ नहीं की जा सकती बल्कि वही ख़ुदा थे जो मुहम्मद स0अ0 की शक्ल में आ गये" और लोगो ने अपने शिर्किया शेर भी कह दिये:

परदा–ए–इन्सान में आकर दिखाना था जमाल।
रख लिया नाम मुहम्मद ताकि रूसवाई न हो।।

ऐसे अक़ीदे रखने वाले हिन्दुस्तान में मौजूद हैं तो सबसे पहले इस बात का इल्म हासिल करना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अस्ल माबूद वही है। फिर उसके बाद जिस इल्म की जितनी ज़रूरत होगी उस इल्म का उतना ज़्यादा हासिल करना इन्सान के लिये फ़ायदेमन्द भी होगा और ज़रूरी भी। इसमें सबसे अफ़ज़ल इल्म क़ुरआन मजीद का इल्म है जिसको फ़रमाया गया: "तुममे सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल वो है जो क़ुरआन सीखे और सिखाय" (हदीस) क़ुरआन क़यामत तक ज़िन्दा रहेगा और ताबन्दा रहेगा। जिस तरह सूरज की रोशनी में कमी कमी नही हुई उसी तरह क़ुरआन की रोशनी में भी कमी नही हो सकती। इसका नयापन कभी पुराना नही होगा। और इसके अजायबात कभी ख़त्म नहीं हो सकते। क़ुरआन के अजायबात बराबर लोगों के सामने आते रहेंगे। इसके अजायबात हर ज़माने, हर सदी, हर साल, सामने आते रहेंगे।

इस्लाम से भय कैसा?

मौलाना शमसुल हक़ नदवी

इस्लाम इन्सानी अक़्ल व समझ की पराकाष्ठा का आख़िरी धर्म है और मानवता के स्थायी मार्गदर्शन के लिये आया है। इसीलिये वो सभी धर्मों से व्यापक व सम्पूर्ण भी है। ये सम्पूर्ण मानवता के लिये है। इसके कार्यक्षेत्र से मानव जीवन का कोई कोना और कोई पहलू बाहर नहीं है। वो उसकी सम्पूर्ण दीनी व दुनियावी और आत्मिक व भौतिक आवश्यकताओं का पूरक और जीवन यापन का सम्पूर्ण नियामक है। इसमें दीनी व दुनियावी और शरीर व आत्मा का भेद नहीं बल्कि दुनिया में अल्लाह के आदेशानुसार जीवन व्यतीत करने का ही नाम इस्लाम है। इसमें इतनी वृहद्ता है कि वो हर दौर में नेकी के मानवीय उन्नति का साथ दे सकता है तथा इसमें इसका मार्गदर्शन कर सकता है। अतः दिल की गहराइयों से इस पर ईमान रखने वालों को जब भी राज–काज की बाग़डोर सौंपी जायेगी ये हमारा दुखी संसार जन्नत का नमूना बन जायेगा। क़ुरआन करीम का इरशाद है:

"ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको देश की सत्ता दे तो नमाज़ पढ़े और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें।"

ये है इस्लाम प्रियों की इस्लाम प्रियता का सारांश और सम्पूर्ण मानवता के लिये इस्लाम के दीन–ए–रहमत होने का सारांश कि अगर इस्लाम के सच्चे पैरोकारों को शासन व अधिपत्य प्राप्त हो जाये तो दुनिया में शासन व राजनीति के ख़ाक़े अल्लाह के इस छोटे से कथन के प्रकाश में बनेंगे। समाज से लेकर सत्ता व अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन, न्यायपालिका के क़ानूनों और फ़ौजदारी के नियमों, विभिन्न जातियों व बिरादरियों के साथ न्याय और सबके अधिकारों की सुरक्षा यहां तक कि साहित्य, कला व फ़नकारी सबके सब इस के बनाये हुए ख़ाक़े के अनुसार चलेंगे।

इस सृष्टि की रचना करने और इसको चलाने वाले सृष्टा की उपासना और उसके सामने सर झुकाने और उसके आदेशों का पालन करने के साथ–साथ इस्लामिक विचारों वाली सत्ता कुछ इस तरह प्रशिक्षित होगी कि बैतुलमाल की स्थापना के बाद कोई नंगा, भूखा न रहने पायेगा। अदालतों के न्याय बिकने के बजाये मिलने लगेगा। रिश्वत, चालबाज़ी, झूठी गवाहियों और क़स्मों का ख़ात्मा हो जायेगा। अमीर को ग़रीब को ज़लील समझने और उसका हक़ मारने और सताने का कोई हक़ और कोई मौक़ा का बाक़ी न रह जायेगा। चोरियां और बदकारियां, डाके और क़त्ल व लूटपाट का ख़ात्मा हो जायेगा। एक कमज़ोर आदमी रात के अंधेरे या सेहरा या वीराने में सोने या रूपये पैसे को गट्ठर लेकर चलेगा और किसी को आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। ग़रीबों का ख़ून चूस कर तैयार होने वाली महाजनी कोठियों और सूदख़ोर साहूकारों और बैंकों के टाट उलट जायेंगे। शराबी और जुआड़ी अगर अपनी हरकत न छोड़े तो तड़ीपार कर दिये जायेंगे। सिनेमा और थियेटर जो बेहयाई और अश्लीलता का खेल दिखा–दिखाकर समाज की आंखों से लाज–लज्जा को ख़त्म करके बदकारी का तूफ़ान उठाते हैं, उनकी सभी तमाशागाहों को तुरन्त बन्द कर दिया जायेगा।

अश्लील साहित्यों, चारित्रिक गिरावट के अफ़सानों और बेहया शायरी की जगह पाकीज़ा और तामीरी साहित्य लेंगे। शहर व देहात, कूचा व बाज़ार हर जगह इन्सानी शराफ़त और प्यार व मुहब्बत की शहनाइयां

बजती सुनाई देंगी।

मानवीय जीवन यापन के नियम किसी विशेष क़ौम व किसी विशेष युग के रस्म व रिवाज पर स्थापित नहीं हैं। बल्कि उसमें इस विचार व सोच की पूरी छूट रखी गयी है जिस पर इन्सान पैदा किया गया है। जब मानव प्रकृति हर युग में स्थापित है तो प्राकृतिक दीन के आदेशों व नियमों को भी स्थापित करना आवश्यक है अन्यथा मानव समाज में ऐसे–ऐसे बदलाव होंगे जो उसको जानवरों से भी बदतर बना देंगे और फिर उसको इन्सान बनने से वहशत होगी।

कुछ अर्से पहले की बात है कि लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में ऐसे लड़के को ईलाज द्वारा मानव प्रकृति पर लाने का प्रयास किया जा रहा था जिसको बचपन में भेड़िया उठा ले गया था मगर खुदा की कुदरत की भेड़िये ने उस बच्चे को खाया नहीं बल्कि उसकी मादा जो बच्चे दिये हुए थी अपने बच्चों के साथ उसको भी पालती रही। उस माहौल में उस बच्चे के चलने का अन्दाज़, खाना व बोलना सब बदल गया। उसको इन्सानों से वहशत होती थी। उसको देखने के लिये एक भीड़ लगी रहती थी। लोग उस पर ख़र्च करने के लिये रुपये भी देते थे लेकिन चूंकि माहौल उसकी प्रकृति पर हावी हो गया था, वो भयभीत रहता था। अन्ततः उसकी मृत्यु हो गयी। ये 1958 या 1959 ई० का वाक़्या था। स्वयं लेखक ने भी उस लड़के को देखा था।

ये तो सब जानते हैं कि एक शरीफ़ घराने का बच्चा जब चोरों और उचक्कों के माहौल में रहने लगता है तो उसको अपने घर के गंभीर व प्रतिष्ठित वातावरण से घबराहट होने लगती है।

हमारी आज की दुनिया की स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। पश्चिमी विचारों व संस्कृति ने इसकी भौतिकता व शहवत रानी की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ऐसे सांचे में ढाल दिया है कि इन्सान अपनी प्रकृति कसे बहुत दूर निकल चुका है। फ़ितरत से दूर निल जाने के बाद उसने हवसरानी और मनमानी ज़िन्दगी की ऐसी दुनिया बनायी है कि फ़ितरत की तरफ़ लौटने में उसको डर लग रहा है। इसलिये तमाम क़ौमें और लोग जो इस नयी और आवारा सभ्यता के छलावे में फंस चुका है। इनको इस्लाम और इस्लाम प्रियो से वहशत होती है। वो इस डर से कि कहीं इस साफ़–सुथरे और मानवीय प्रकृति के प्रवक्ता व पवित्र जीवन व्यवस्था का चलन न हो जाये, भयभीत रहते हैं और इससे बचने के लिये उसको इन नामों से याद करते हैं जिन से लोगों को इस इस्लाम से इस तरह भयभीत करें जैसे सांप, बिच्छू और ज़हरीले जानवरों और जरासीम से डराया और भयभीत किया जाता है। अतः पत्रकारिता और मीडिया की पूरी ताक़त इसके ख़िलाफ़ लगी हुई है। कोई बात कितनी ही ग़लत हो लेकिन जब बार–बार इसे दोहराया जाये, तरह–तरह के विषयों से उसकी अच्छाइयां बतायीं जायें तो वो बुरी और सौ प्रतिशत ग़लत बातें भी सच और सही लगने लगती हैं। इस समय इस्लाम और मुसलमानों के बारे में पश्चिमी क़ौमों और उसके अज़ली दुश्मनों यहूद व नसारा ने यही अन्दाज़ अपना रखा है और इसके असर से पूरब की लज्जावान क़ौमें भी इसका साथ देने लगीं। इसलिये कि इस्लाम आयेगा और इस्लाम प्रियों को दुनिया की व्यवस्था चलाने का अवसर प्राप्त होगा तो हया व शर्म से खाली व धन व भौतिकता के उन भूखों जो कमज़ोरो की इज़्ज़तों से खिलवाड़ करते हैं और उनका ख़ून चूस–चूस कर रंग रलियां मनाते है। उन सबका ख़ात्मा हो जायेगा। ये है इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों से डर का कारण जिसकी वजह से इसके विरोध में शोर व हल्ला मचा हुआ है और उसमें वो नाम के मुसलमान भी शामिल हो जाते हैं जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से अपनी सच्ची प्रकृति पर गर्दा डाल दिया है और जब वो पश्चिमी सभ्यता की ऐनक से इस्लाम को देखते हैं तो उनको इसमें तंगी नज़र आती है। वो घुटन व चुभन महसूस करते हैं। इसलिये वो भी वही बोली बोलने लगते हैं जो उनका पश्चिमी गुरू बोलता है।

ये इस्लाम के लिये कोई नयी बात नहीं। पूरे मानव इतिहास और ..... (शेष पेज 20 पर)

नागरिकों के एकसमान कानून

UNIFORM CIVIL CODE

मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी

एकसमान नागरिक कानून से मुराद वो समाजी और पारिवारिक कानून हैं जो किसी भी विशेष भू भाग पर आबाद लोगों के लिए बनाए गयें हों। उन कानूनों मे हर व्यक्ति के निजी और ख़ानदानी मामले भी शामिल हैं। इन कानूनों को लागू करने में किसी व्यक्ति के धर्म या सभ्यता या रस्म व रिवाज का ख्याल नही किया जाता बल्कि इन चीज़ों से बिल्कुल अलग होकर धर्म के मानने वालों को एक समान नागरिक कानून (Uniform Civil Code) का पाबन्द होने पर मजबूर किया जाता है। जिसके अन्तर्गत वो सारे कार्य आ जाते हैं जिनका संबंध पर्सनल लॉ से होता है।

भारत मे एकसमान नागरिक क़ानून के लागू करने का मतलब हर धर्म के मानने वालों को और विशेषतः मुसलमानों को अपने पर्सनल लॉ को छोड़ देना है, और ऐसे कानूनों का पाबन्द होना है जो पश्चिमी सोच के ढ़ांचे में ढ़लकर तैयार हुआ हो और जिसे "हिन्दु कोड" के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब शासन के लिए इसको लागू करना आसान होगा तो वो वर्तमान हिन्दुकोड को ही एकसमान नागरिक कानून का नाम दे देगी जिसका आधार वास्तव में हिन्दु धर्म की शिक्षा नही अपितु पश्चिमी दृष्टिकोण हैं।

एकसमान नागरिक कानून के द्वारा मुसलमानों के क़ौमी पहचान और दीनी पहचान को समाप्त करने की एक कोशिश है। स्पेशल मैरिज ऐक्ट (Special Marriage Act) और इण्डियन सेक्शन ऐक्ट (Indian Section Act) के द्वारा इसको अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसके अन्तर्गत सर्वधर्म शादियां हो सकतीं हैं। मैरिज ऐक्ट के तहत शादी करने वाले विरासत के अधिकार से वंचित रहेंगे। इसी प्रकार शादी के तीन साल बाद तक मियां बीवी में अलगाव की कोई सम्भावना नही। तलाक़ का हक़ केवल मर्द को नही बल्कि मर्द और औरत में से जो भी तलाक़ लेना चाहे तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर वो अपनी मांग को सही साबित करके अलग हो सकता है।

इसी प्रकार इण्डियन सेक्शन ऐक्ट की पहली दफ़ा के अनुसार हर व्यक्ति को वसीयत करने का अधिकार प्राप्त है। वो चाहे जिसके लिए वसीयत करे और चाहे जितनी मात्रा के लिए करे, इसके अतिरिक्त मरने वाले की मां, बीवी और बेटा और बेटी सबको समान अधिकार दिया जाएगा। ये और इस तरह के बहुत से क़ानून हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए एकसमान नागरिक क़ानून का मतलब मुसलमानों के पर्सनल लॉ में सीधे दख़ल देना है। और इन क़ानूनों के कुबूल करने की मांग करना न केवल ये कि धार्मिक स्वतन्त्रता पर रोक है बल्कि अक़ीदा व ज़मीर की आज़ादी से भी वंचित करने का विचार है। और वास्तव में देश के वास्तविक गणतन्त्र को बिगाड़ने और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बिगाड़ने की एक नापाक साज़िश है।

एक लम्बे समय से देश का एक वर्ग जिसमें बड़ी संख्या हिन्दुओं की है और कुछ मुसलमानों की इसे लागू करने के लिए जेहन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ताकत के जोर पर इसे लागू करने का मश्वरा देते हैं, कुछ इस्लाह के नाम पर इसको लागू करने में आसानी पैदा कर रहे हैं। और कुछ हालात का तकाज़ा बताकर इसको लागू करने की सिफ़ारिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका ज़मीर व ख़मीर पश्चिमी विचार मे ढला हुआ है। पश्चिम से अलग होकर न उनके पास कोई दावत है, न कोई संदेश है, और न कोई शिक्षा। जिस प्रकार वहां धर्म को एक प्राइवेट (Private) मामला समझ लिया गया है और उसकी दायरा इबादतों और कुछ रस्मों तक महदूद कर दिया गया है। इसी प्रकार भारत में भी एकसमान नागरिक क़ानून को लागू करके पूरी आबादी को पश्चिमी धारे मे बहाने का प्रयास

किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त एकसमान नागरिक कानून की सिफ़ारिश का एक आधारभूत कारण इस देश का वो महत्वपूर्ण कानून है जो 1954ई0 और 1956ई0 के बीच स्वीकृत किया गया, जिसके परिणाम मे हिन्दु पर्सनल लॉ समाप्त हुआ और उसकी जगह और उसकी जगह पश्चिम से लिया गया पर्सनल लॉ लागू किया गया। उस समय ये फ़िज़ा बनाई गयी कि जिस प्रकार हिन्दु पर्सनल लॉ समाप्त किया गया है उसी प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ भी समाप्त किया जाए। आइये इस सिलसिले मे दी गयी दलीलों का एक सरसरी निरीक्षण करते है:

(1) भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 44 की मांग है कि शासन ये प्रयास करे कि देश मे एकसमान नागरिक कानून लागू हो:

"The state shall endeavour to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India."

लेकिन जिस प्रकार धारा 44 की ये मांग है कि देश मे एकसमान नागरिक कानून लागू हो उसी प्रकार धारा 25 कहती है कि देश के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म के स्वीकारने, उस पर कार्यरत होने और उसके प्रचार करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।

"Subjects to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to the freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion."

ये धारा आम नागरिक के "मौलिक अधिकार" से संबंधित है जबकि धारा 44 का संबंध "मार्गदर्शक नियम" से है। और ध्यान रहे कि "मौलिक अधिकार" की धारांए "मार्गदर्शक नियम" से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अत: धर्म की स्वतन्त्रता के साथ एकसमान नागरिक कानून का लागू होना किसी भी दशा मे सम्भव नहीं है।

(2) भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसके लिए आवश्यक है कि यहां के कानून धार्मिक पाबन्दियों से स्वतन्त्र हों।

थ्बना किसी शक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नही है कि देश से धार्मिक स्वतन्त्रता और समाज से धार्मिक रीति रिवाजों को हटा दिया जाए। बल्कि इसका अर्थ ये है कि शासन का न कोई धर्म होगा और न वो किसी धर्म की तरफ़दारी करेगा और न ही किसी के साथ किसी धर्म के मानने या न मानने के कारण से कोई पक्षपात किया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ यही है और इसी अर्थ के अन्तर्गत देश के कानून बनाए गये हैं। इसके बाद ये सवाल ही नही उठता कि "एकसमान नागरिक अधिकार" धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता हैं।

(3) धार्मिक कानून पुराने हो चुके हैं, अब वो जमाने की आवश्यकताओं का साथ नही दे सकते हैं।

ये सही है कि धार्मिक कानून पुराने हैं लेकिन इसका ये मतलब नही है कि वो बेकार व व्यर्थ हैं, और उनक लाभ खत्म हो चुका है। कोई चीज़ केवल पुरानी होने की वजह से बेकार नही होती और न हर नई चीज़ इसलिए अच्छी हो सकती है कि वो नई है। बल्कि उसकी हक़ीक़त और उसके लाभ का इन्साफ़ के साथ जाएज़ा लिया जाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसके कानून समाज को सन्तोषजनक आधार पर स्थिर रखने और उन्नति देने की योग्यता रखते हैं कि नही? इसी तरह उन कानूनों का भी निरीक्षण किया जाना चाहिए जो "नये कानून" के नाम से पेश किये जा रहे हैं और ये वास्तविकता है कि "एकसमान नागरिक अधिकार" का आधार पश्चिम के पर्सनल और निजी कानून हैं। इसलिए पहले आवश्यक है कि जिन क़ानून को भारत मे लागू करने की जद्दोजहद की जा रही है उसका निरीक्षण उन देशों मे किया जाए जहां वो लागू हैं। और ये बात जगजाहिर है कि पश्चिम की समाजी और पारिवारिक ज़िन्दगी की तीलियां टूट टूट कर बिखर रही हैं। और व्यक्तिगत जीवन का सुकून व विश्वास विदा हो चुका है। वहां पर किसी व्यक्ति का अपने वैवाहिक जीवन सफल होना किसी हैरतअन्गोज़ कारनामे से कम नहीं।

इसके अतिरिक्त धार्मिक कानून के दो भाग हैं एक भाग आधारभूत और नियमित है जिसमें किसी प्रकार के बदलाव की संभावना नही है। और दूसरा भाग वो है जो समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। अतः ये कहना कि धर्म समय की आवश्यकताओं को पूरा

नही कर सकता सर्वथा व्यर्थ है। (4) देश मे क़ौमी एकता को बढ़ाने और एकता को मज़बूत बुनियादों पर स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि देश मे एकसमान नागरिक कानून लागू किये जांए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कानून बिखराव का ज़रिया बनते हैं।

क़ौमी एकता का नारा अवश्य आकर्षक है लेकिन ये समझना कि एकसमान नागरिक कानून के द्वारा इसके लिए राह आसान हो सकती हैं केवल एक ग़लतफ़हमी है। क्योंकि अगर पारिवारिक कानून की समानता ही क़ौमी एकता पैदा कर सकती तो पंजाब प्रदेश मे सिख और हिन्दु एक लम्बे समय तक आपस मे झगड़ते न रहते। आसाम मे खून न बहता रहता। बंगाल मे मानवता की धज्जियां न उड़ाई जाती और बंग्लादेश नक़्शे पर न आता। ब्रिटेन और जर्मनी में खून की नदियां न बहतीं, और दो "विश्व युद्ध" से मानवता का दामन तार तार न होता। जबकि इन देशों की पारिवाकिरक व्यवस्था एक बल्कि उनका धर्म भी एक है। तो अगर पर्सनल लॉ की समानता कौमी एकता और विभिन्न वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने मे प्रभावित होती तो मानवता का इतिहास आज कुछ और ही होता।

क़ौमी एकता और विभिन्न वर्गों के बीच समानता का एक बेहतरीन नुस्ख़ा दो वर्गों के मध्य शादी को कहा जाता है लेकिन ये दावा करते समय ये भुला दिया जाता है कि आये दिन ऐसी शादियों के टूटने और खानदान के बिखरने के वाक़्ये समाज मे प्रकट हो रहे हैं। इसके अलावा इस बात को भी भुला दिया जाता है कि इस नुस्ख़े पर एक ऐसी शख़्सियत ने अमल किया था जिसे फ़िरक़ा परस्ती की अलामत और देश की एकता को समाप्त करने वाला और देश के बंटवारे का ज़िम्मेदार घोषित कर दिया जाता है। मिस्टर मुहम्मद अली जिनाह ने एक पारसी घराने मे शादी की थी और स्पेशल मैरिज ऐक्ट के तहत की थी, मगर इससे क़ौमी एकता को कितना बढ़ावा मिला उसे सब जानते हैं। इसलिए एकसमान नागरिक कानून को लागू करने की कोशिश मानो देश की सबसे बड़े अल्पसंख्यक की धार्मिक स्वतन्त्रता पर कैद है जिसका आवश्यक परिणाम न केवल देश की सलामती के खिलाफ़ है बल्कि इसके भविष्य के लिए भी ख़तरा है।

शेष : इस्लाम से भय कैसा?

.....सारे नबियों की सीरतें इसकी गवाह हैं कि हर युग में इस्लाम का विरोध हुआ है। इस पर तानो के तीरों की बौछार हुई है। लेकिन दीन–ए–हक़ का चिराग़ तमाम तूफ़ानों से गुज़र कर ज़िन्दा रहा है और विरोध पर उतारू क़ौमें तबाह व बर्बाद हुई हैं।

जब आख़िरी रसूल आये तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा और बेगानों से ज़्यादा अपनो ने सताया मारा और हंसी–मज़ाक़ उड़ाया। मगर फिर दुनिया ने क्या देखा घमन्ड के मतवाले किस तरह मिटते या इस्लाम में आते चले गये। जिस बादशाह ने आप स0अ0 क ख़त को फ़ाड़ा उसके शासन के चीथड़े उड़ गये। आज जब आप स0अ0 को दुनिया से गये हुए चौदह सौ साल हो चुके हैं जो हर पढ़े–लिखे इन्सान की फ़ितरत में है। इस्लाम ने इन सारे तूफ़ानों से गुज़र कर आज भी वैसे ही जिन्दा और इन्सानियत को नजात दिलाने वाला है जैसे पहले दिन था। उस समय भी जो तूफ़ान इस्लाम के ख़िलाफ़ बरपा है वो तूफ़ान भी चलता रहेगा लेकिन इस्लाम पर आंच न आने पायेगी, मिटेंगे वही जो इस्लाम को मिटाना चाहेंगे जैसा कि होता रहा है। और मिटती हुई क़ौमों का इतिहास इसका गवाह है। विरोधियों और इस्लाम के ख़िलाफ़ साज़िशों के इस तूफ़ान में ईमानवालों का इम्तिहान है कि वो इस पर जमे रहें और विरोधियों से घबराकर हिम्मत न हारें। ख़ैर उम्मत होने की उन पर जो ज़िम्मेदारी है किसी जज़बातियत का शिकार हुए बग़ैर इसको हिम्मत व हौसले के साथ और उन आदाब के साथ जो कुरआन करीम और रसूल स0अ0 ने उनको बताये हैं अदा करते रहें। विरोध के ये बादल उठते छटते रहे हैं। ये भी छट जायेंगे और खुदाई मदद आयेगी जैसे इस्लाम की चौदह सौ साला इतिहास में आता रहेगा मगर ये नहीं कहा जा सकता कि कब आयेगी और कितने इम्तिहानों के बाद आयेगी। बस इतना ही कहा जा सकता है कि "अल्लाह ही के लिये है ज़मीन व आसमान का लश्कल।"

सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिहि

हुज़ूर (स०अ०) फ़रमाते हैं:

"जिसने रोज़ाना सौ (१००) बार सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिहि कहा उसके कुसूर माफ़ कर दिये जायेंगे, चाहे उनकी अधिकता समुन्द की झागों के बराबर हो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

ये धोखा न खाना चाहिये कि इस कलिमे से हर तरह के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, दूसरी हदीसों से मालूम होता है कि इस कलिमे की कसरत से वो गुनाह माफ़ होते हैं जो कबीरा न हों। कबीरा गुनाह सिर्फ़ तौबा व इस्तिग़फ़ार से माफ़ होते हैं।

हुज़ूर (स०अ०) से सवाल किया गया कि कलामों में कौन सा कलाम अफ़ज़ल है, आप (स०अ०) ने फ़रमाया:

"वो कलाम जो अल्लाह तआला ने अपने फ़रिश्तों के लिये चुना है यानि 'सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिहि'।"

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (स०अ०) ने फ़रमाया:

"दो कलिमे ज़बान पर हल्के–फुल्के और मीज़ान–ए–अमल में बहुत भारी और ख़ुदावन्द कुद्दूस को बहुत प्यारे हैं:

'सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिहि', 'सुब्हानल्लाहिल अज़ीम'।"

लाइलाहा इल्लललाहु की फ़ज़ीलत:

"लाइलाहा इल्लललाहु" कलिमा तैय्यबा का पहला भाग है, इस मुबारक कलिमे की बड़ी फ़ज़ीलत आयी है।

हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि हुज़ूर (स०अ०) ने फ़रमाया:

"अफ़ज़ल ज़िक्र 'लाइलाहा इल्लललाहु' है।"

एक दूसरी जगह इरशाद है:

"जो बन्दा दिल के इख़लास के साथ 'लाइलाहा इल्लललाहु' कहे उसके लिये आसमानों के दरवाज़े खोल दिये जायेंगे, यहां तक कि वो कलिमे अर्शे इलाही तक पहुचेंगे शर्त ये है कि वो आदमी कबीरा गुनाहों से बचता रहे।"

मौलाना मुहम्मद सानी हसनी रह०

R.N.I. No.
UPHIN/2009/30527

Monthly
ARAFAT KIRAN
Raebareli

Postal Reg. No.
RBL/NP - 10

ISSUE: 11 NOVEMBER 2016 VOLUME: 08

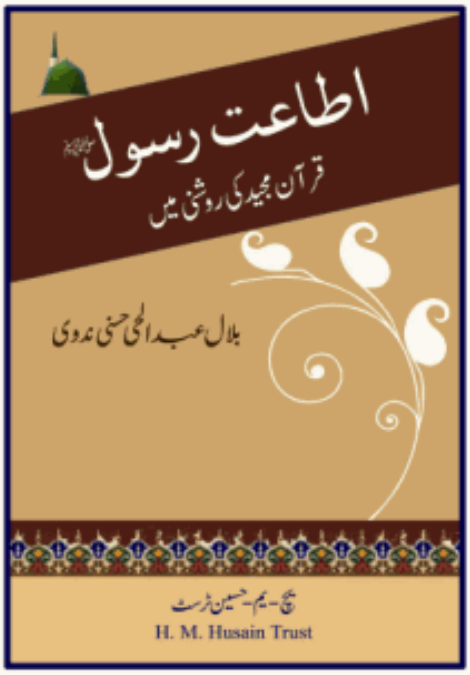

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi
MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI
Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.
Mobile:9792646858
E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalinadwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche,Phatak
Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.